भाग ४ (ग)

ग्रन्तिम नियम

नगर तथा ग्राम निवेश विभाग

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 1975.

क. 3881-तैतीस-75.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) स्रधिनियम, 1974 (कमांक 6 सन् 1974) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त गक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण मण्डल से परामर्थ करने के पश्चात, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाता है, स्रर्थात्:—

नियम

- पंक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:—(एक) ये नियम जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)
 (सम्मति) मध्यप्रदेश नियम, 1975 कहलायेंगे.
 - (दो) ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.
 - २. परिभाषाएं.-इन नियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है जल (प्रदूषण निवारण तथा निवारण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6 सन् 1974);
 - (ख) "मण्डल" से अभिन्नेत है, धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन गठित मध्यन्नदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण मण्डल;
 - (ग) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा;
 - (घ) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, मण्डल का अध्यक्ष;
 - (♥) "सदस्य-सचिव" से ग्राभिप्रेत है मण्डल के सदस्य-सचिव;
 - (च) "सदस्य" से अभिप्रेत है, मण्डल का शासन द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया सदस्य;
 - (छ) "सम्मति" से अभिप्रेत है, निश्राब के निस्सारण के लिए मण्डल के प्राधिकारी की मंजूरी;
 - (ज) "सम्मति फीस" से अभिन्नेत है, मण्डल द्वारा सम्मति दिये जाने के लिए मण्डल द्वारा प्रभारित फीस;
 - (झ) "विनिधान" से अभिप्रेत है/पूंजीगत निर्माण कार्य, जिसमें भूमि, मशीनें तथा उपकरण सम्मिलत है, पर उद्योग द्वारा (विनिहित में पूंजी;
 - (ञा) "अनुज्ञप्ति फीस" से अभिप्रेत है किसी सरिता या कुएं मल में या व्यापार निस्नान के निस्सारण के लिए मण्डल को प्रति वर्ष संदत्त की जाने वाली लाइसेंस फीस.
- ३. प्रक्रिया—कोई भी व्यक्ति, जो किसी सरिता या कुएं में मल या व्यापार निस्नाव का निस्सारण करता हो, सचिव, मध्यप्रदेश, राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंवण मण्डल, भोपाल को इन नियमों से संलम्न प्रारूप में आवेदन करेगा.

- ४. मण्डल द्वारा निवारण तथा नियंत्रण.—(एक) विद्यमान उद्योगों के मामले में, व्यक्ति अपने परिसर, जहां निवाब उत्यान्त हाता हो,की समस्त विधिष्टयां देखे हुए आवेदन प्रस्तुत करेगा/करेंगे.अधिनियम मण्डल के गठन से 3 माह के भीतर एसा आवेदन प्रस्तुत करना अनुध्यात है. इस समय सीमा में मण्डल द्वारा आवश्यकतानुसार समय-समय पर वृद्धि की जा सकेगी.
- (दो) विद्यमान सुविधाओं में सुधार के मामले में, व्यक्ति मण्डल की सम्मति के लिए आवेदन करेगा/करेंगे, जो नया आवेदन माना जायेगा.
- (तीन) नये निस्सारणों के मामले में व्यक्ति अपना आवेदन, व्यवस्था किए जाने वाले साधित्रों तथा अपिकट-शोधन सुविधाओं की डिजाईनों के साथ-साथ सम्मति प्ररूपों में उपदर्शित विनिर्माण प्रक्रियाओं आदि की विशिष्टयां देते हुए प्रस्तुत/करेगें/करेंग.
- (चार) आवेदन प्ररूप फीस के रूप में 5 रु. का संदाय कर आवेदन प्ररूप मध्यप्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण मण्डल, भोपाल के कार्यालय से अभिप्राप्त किय जा सकेंगे.
- (पांच) यावेदन प्ररूप के साथ निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार विहित सम्मित फीस सम्यकरूप से दी जानी चाहिए:—

निम्नलिखित विनिधान करने वाले उद्योग:--

		रुपये
(9)	5 करोड़ रु. से अधिक	15,000
(3)	1 करोड़ रु. से अधिक, किन्तु 5 करोड़ से कम	7,500
(३)	50 लाख रु. से अधिक, किन्तु 1 करोड़ रु. से कम	3,500
(8)	10 लाख रु. से अधिक , किन्तु 50 लाख रु. से कम .	1,000
(4)	1 लाख रु. से अधिक, किन्तु 10 लाख रु. से कम	500
()	न्यूनंतम फीस	500

- (छ:) मण्डल को आवेदन-पत्र प्राप्त हो जाने पर, मण्डल को प्रस्तावित स्थल या विद्यमान स्थल का परीक्षण करने तथा ऐसे कोई ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए कहने का ग्रधिकार होगा, जो आवेदन-पत्र में विस्तार से न दिये गये हों.
- (सात) वह तारीख, जिसको कि आवेदन-पत्न से सम्बंधित संपूर्ण जानकारी मण्डल को प्राप्त हो जाये, धारा २५ की उपधारा (७) के प्रयोजनार्थ ४ माह की कालावधि की गणना के लिए आवेदन-पत्न प्राप्त होने की तारीख होगी.
- (आठ) मण्डल द्वारा परीक्षण कर लिए जाने पर, आवेदक को इन नियमों से संलग्न अनुसूची में दिये गये प्ररूप में सक्षर्त या विना किसी गर्त के सम्मति प्रदान की जायेगी.
- (नौ) आवेदक, मण्डल द्वारा दी गई सम्मित के अनुक्रप कार्य करेगा तथा उसमें दिये गये अनुदेशों का पालन करेगा.
- (दस) यदि मण्डल की सम्मति में अपेक्षा की गई हो, तो आवेदक नियतकालिक जानकारी तथा अन्य रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.
- (ग्यारह) जहां सम्मित, इस गर्त के अध्यधीन, दी जाये कि आवेदक द्वारा निस्नाव का मानक के अनुरूप शोधन करने के लिए उपाय किये जायेंगे, तो आवेदक नियत समय के भीतर ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करेगा.

- वार्षिक नवीकरण.—(१) मण्डल को सम्मति सम्बन्धी ग्रपने विनिश्चय के पुनरीक्षण का अधिकार होगा.
- (२) मण्डल, सम्मति की ऐसी किन्हीं भी विशिष्ट शर्तों में परिवर्तन या उपान्तरण कर सकेगा या कोई भी ऐसी विशिष्ट शर्तें सम्मिलित कर सकेगा, जोकि ब्रावेदक द्वारा कार्यान्वित की जायेगी।
- (३) प्राकृतिक सरिताओं को स्वच्छ स्थिति में बनाये रखने के लिए मण्डल को किन्हीं भी परिसरों का निरीक्षण करने तथा नमूने एकत करने का प्रधिकार होगा.
- (४) मण्डल परिसरों की आकस्मिक जांच भी कर सकेगा और आवेदक ऐसे अधिकारियों को जो मण्डल द्वारा प्राधिकृत किये गये हों, निरीक्षणों के दौरान उनके द्वारा चाही गई सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगा.
- (५) ग्रावेदक निम्नलिखित श्रनुसूची के श्रनुसार मण्डल को वार्षिक श्रनुसप्ति फीस का संदाय करेगा:—

निम्नलिखित विनिधान करने वाले उद्योग:—

	रुपये
(एक) ५ करोड़ रु. से अधिक	4,000
(दो) १ करोड़ रु. से ग्रधिक, किन्तु १ करोड़ रु. से कम	2,200
(तीन) ४० लाख रु. से अधिक, किन्तु १ करोड़ रु. से कम	9,000
(चार) १० लाख रु. से ग्रधिक, किन्तु ५० लाख रु. से कम	700
(पांच) १ लाख र. से ग्रंधिक, किन्तु १० लाख र. से कम	540
(छ:) न्यूनतम फीस	540

मा. नैसर्गिक संसाधनों से जल प्राप्त करने वाले तथा सारिताओं में निश्नाव का निस्सारण करने वाले स्थानीय निकायों से प्रभाय वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस तथा सम्मति फीस निम्नानुसार होगी:—

						रुपये
(事)	नगरपालिक नि	गम		- Tables	4.	3,000
(國)	ग्र—ग्र श्रेणी	की	नगरपालिकाएं	199	Taring.	2,000
(ग)	ग्र ,,	96				9,000
(घ)	श्रा "	tt	0		100	700
(歌)	₹ "	**	w .		- 19	२४०
	न्यूनतम फीस			- 44	100	२५०

६. निरीक्षण:—नैसर्गिक सरिताझों में निस्सारित निस्नाव की किस्म पर निरन्तर निगरानी रखने की दृष्टि से मण्डल सरिताझों में निर्धारित स्थानों पर नमुनों की निरन्तर मानीटरिंग करता रहेगा.

वे ऐसी आकस्मिक जांच तथा निरीक्षण भी कर सकेंगे तथा आवेदक ऐसे निरीक्षणों के लिए सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगा.

७. ग्रापातकालीन परिस्थितियां.—ग्रापातकालीन परिस्थिति में जब सरिताथों के जल की किस्म ग्रचानक खराब हो जाये तो आवेदक मण्डल से सहयोग करेगा तथा यदि आवश्यक हो तो अस्थायी उपाय के रूप में सरिताओं में अनुचित प्रदूषण को रोकने के लिए कतिपय सिक्रयाओं को बन्द कर देगा.

श्रनुसूची

[नियम ४ (ग्राठ) देखिये]

कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत ण मण्डल, ८७, मालवीय नगर, भोपाल-३.

सम्मति प्ररूप

क्रमांक--जप्रनिम (जल प्रदूषण नियंत्रण मण्डन) भोपाल, तारीख

विषय: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ की धारा २५/२६ के अधीन निस्नाव के निस्सारण के लिए.....को सम्मति.

निर्देश ः ः ः ः ः ः ः ः ः का	
ग्रावेदन-पत्र क	
तारीख(समाप्ति	तारीख)

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) ग्रिधिनियम, १९७४, जिसे इसमें इसके पश्चात् ग्रिधिनियम के रूप में निर्विष्ट किया गया है, के अधीन निस्नाव को प्राकृतिक जल सारणियों में निस्सारित करने की सम्मति के लिए उक्त ग्रावेदन-पत्न के निदश में '''को, राज्य मण्डल द्वारा उनके परिसर से उत्पन्न होने वाले ग्रीद्योगिक तथा श्वन्य निस्नावों को, परिशिष्ट में यथाउल्लिखित सामान्य तथा विशेष शर्तों के श्रनुसार, स्थानीय सरिता/नदी/कुएं में निस्सारित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है.

२. यह सम्मति तारीखसे प्रारंभ होकर केवल १२ महीनों की कालावधि के लिए विधिमान्य होगी.

तारीख माह सन् १६

मध्यप्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण मंडल के लिए तथा उसकी भ्रौर से,

मुहर

सदस्य-सचिव.

उपावन्ध

सर्वेश्री	को जारी किए गए	निदंश-पत्न का	सहपत्न,	देखिए
सम्मति क जप्रनिम	x	तारीख		

ग्र. सामान्य शतः--

- 9. समस्त प्राधिकृत निस्सारणों इस सम्मित के निवन्धनों तथा शतौं से संगत होंगे. सुविधा विस्तार, उत्पादन वृद्धिया या प्रक्रिया उपान्तरण, जिसके परिणामस्वरूप प्रदूषकों का नए या वहे हुए निस्सारण की सूचना एक नया सम्मित आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए दी जानी चाहिए अथवा यदि ऐसे नए या बढ़े हुए निस्सारण से, इस सम्मित में विनिद्धिट निस्त्राव परिसीमाओं का अतिक्रमण नहीं होता हो, तो मडण्ल को प्रदूषकों के ऐसे नए या वढे हुए निस्सारणों के व्यौरे प्रस्तुत करते हुए दी जानी चाहिए, जिस मामले में इसमें अभिजात तथा परिसीमित न किए गए किन्हीं भी प्रदूषकों के लिए निस्नाव परिसीमाओं को विनिद्धिट करने के लिए सम्मित को उपान्तरित किया जा सकेगा. इस सम्मित हारा अभिजात तथा प्राधिकृत की गई बारी से अधिकवार अथवा अभिजात तथा प्राधिकृत की गई बारी से अधिकवार अथवा अभिजात तथा प्राधिकृत स्तर से अधिक किसी प्रदूषक का निस्सारण इस सम्मित के निवन्धनों तथा शतों का अतिक्रमण होगा.
- २. सूचना देने तथा सुनवाई के लिए अवसर प्रदान करने के पश्चात् मंडल द्वारा इस सम्मित को उसकी अवधि के दौरान निम्नलिखित कारणों से, किन्तु उससे सीमित न रहते हुए पूर्णतः अथवा अंशतः उपान्तरित, निलम्बित अथगा प्रतिसंहत किया जा सकेगा :—
 - (क) इस सम्मित के किन्हीं भी निबन्धनों तथा शतों का ग्रतिकमण;
 - (ख) इस सम्मति को दुर्वंपदेशन द्वारा अभिप्राप्त करना अथवा सभी संगत तथ्यों को पूणितः प्रकट न करना;
 - (ग) किसी भी ऐसी गर्त में, जिसमें प्राधिकृत निस्सारण की अस्थायी या अस्थायी कभी अपेक्षित हो, परिवर्तन करना अथवा उसका निरसन करना.
- ३. उपयुंक्त पैरा (२) के होते हुए भी, यदि इसमें प्राधि इत निस्सारण में विद्यमान विषाकत प्रदूषक (टाक्सिक पोल्युटेंट) के लिए, मानक अथवा प्रतिशेव विषाक्त निस्ताव (जिसमें ऐसे मानक अथवा प्रतिशेव विषाक्त निस्ताव (जिसमें ऐसे मानक अथवा प्रतिशेव निस्ताव में विनिर्दिष्ट अनुपालन की कोई भी अनुसूची सम्मिलत हैं) सिद्ध हो जाता है तथा यदि ऐसा मानक या प्रतिषेध इस सम्मित में ऐसे प्रदूषक पर लागू होने वाली किसी भी परिसीमा से कहीं अधिक कठोर हो, तो मानक अथगा प्रतिषेध विषाक्त प्रदूषकों के अनुसार, जिस पर मण्डल विचार करे, सम्मितियं को पुनरीक्षित या उपान्तरित किया जाएगा तथा आवेदक को तदनुसार सूचित किया जाएगा.
- ४. आवेदक, मध्यप्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियतण मंडल के कर्मचारियों तथा/ या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को परिचय पत्र प्रस्तुत करने पर :—
 - (क) आवेदक के परिसर में जहां पर कोई निस्ताव स्त्रोत स्थित हो या जिसमें इस सम्मिति के निवन्धनों तथा शर्तों के अधीन किन्हीं अभिलेखों को रखने की अपेक्षा की गई हो, प्रवेश करने देगा.
 - (ख) इस सम्मति के निवन्धन तथा शर्तों के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित अभिलेखों को देखने तथा युक्तियुक्त समयों पर उनकी नकल करने देगा;

- (ग) इस सम्मित में अपेक्षित, किसी भी मानीटरिंग उपस्कर अथवा मानीटरिंग रीति का युक्तियुक्त समय पर निरीक्षण करने देगाः
- (घ) प्रदूषकों के किसी भी निस्सारण का युक्तियुक्त समयों पर नमूना लेने देगा.
- ५. आवेदक, इस सम्मिति के निबन्धनों तथा मतौं का अनुपालन कराने के लिए उसके द्वारा प्रति-ब्ठापित या प्रयुक्त सभी शोधन अथवा नियन्त्रण सुविधाओं अथवा पद्धतियों को सभी समयों पर अन्छी चालू हालत में रखेगा तथा उनका प्रचालन यथासंभव दक्षतापूर्वक करेगा.
- हैं ६. इस सम्मति का जारी किया जाना किसी वास्तविक अथवा वैयक्तिक सम्मति का सम्मति अधिकार अथवा कोई अनन्य विशेषाधिकार प्रदान नहीं करता और नहीं वह प्राइवेट सम्मति को क्षति पहुंचाने अथवा वैयक्तिक अधिकारों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने अथवा किसी केन्द्रीय, राज्यनीय या स्थानीय विधियों अथवा विनियमों के अतिलंबन काईप्राधिकार प्रदान करता है.
- ७. यह सम्मिति किसी प्राञ्जितिक जल सरणी में किन्हीं भौतिक संरचनाओं अथवा सुविधाओं का निर्माण करना अथवा किसी निर्माण कार्य को हाथ में लेना प्राधिकृत अथवा अनुमोदित नहीं करती.
- द. इसमें अनुज्ञात निस्सारण पर लागू विनिर्दिष्ट निस्नाव परिसीमाएं तथा अन्य अदूषण नियंत्रण विनिर्धिट शर्तों में नीचे उपवर्णित किए गए हैं. स्वमानीटरिंग तथा रिपोर्टिंग अपेक्षाएं भी नीचे उपवर्णित हैं. जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, आवेदक सभी रिपोर्ट की मूल प्रतियों की दो प्रतिलिपियां मध्यप्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मंडल को प्रस्तुत करेगा. अवधारित की गई गोपनीय आधार सामग्री के सिवाय ऐसी सभी रिपोर्ट मध्यप्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मंडल के कार्यालयों में सार्वजनिक निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे. ऐसी किसी भी रिपोर्ट में जानबूझकर कोई मिथ्या कथन करने पर अधिनियम की धारा ४२ में तथा उपबंधित दाण्डिक शास्तियां अधिरोपित की जा सकेंगी.

द्या. विशेष शर्ते :---

- १. प्रारंभिक निस्नाव परिसोमाएं.—इस सम्मिति के प्रभावी होने को तारीख से तक की कालाविध के दौरान दहानों से किया जाने वाला निस्सारण आवेदक द्वारा चीने विनिद्धिट किए अनुसार परिसोमित तथा मानीटरित किया जाएगा :—
 - (क) आवेदक द्वारा निम्नलिखित को तथा विनिर्दिष्ट रीति से परिसीमित तथा मानीटरित किया जाएगा :—

	The state of the s			
निस्नाव के लक्षण	शावृति माप नम्ने	का प्रकार		
(9)	(5)	₹)		
alliens by front of the constant when failer for taker to constant behind	वास्त्राते होते पर निष्य के प्राणी के सकता है। इस बहुकता राज्या है किए उसी विकासकी है। उसमें क्षेत्रक करेंग्रेस			

इस उपखण्ड के प्रयोजनार्थ, दैनिक ग्रीसत निस्सारण, कलेन्डर माह के दौरान किये गये भारणः कुल निस्सारण को माह के उन दिनों की संख्या से भाग देकर, जिसमें उत्पादन या वाणिज्यिक सुविधार्थे प्रवितत थी, निकाला जायेगा. इस उपखण्ड के प्रयोजन के लिये दैनिक ग्रधिकतम निस्सारण से तात्पर्य किसी भी केलेंडर दिन के दौरान किये गये भारणः कुल निस्सारण से हैं:—

- (ख) पी. एच. ५. ५ से कम तथा ६. ० से प्रधिक नहीं होगा.
- - (क) निम्नलिखित बातें ग्रावेदक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सीमित तथा मानीटर की जायेगी

मानीटरिंग अपेक्षायें

निस्नाव लक्षण

म्रावृत्ति माप

नमूना (प्रकार)

इसके अतिरिक्त, दहानों को निम्नानुसार मानीटर किया जायेगा :-

(एक) प्रवाह, ताममान तथा कुल ठोस पदार्थ— प्रतिमाह एक.

ग्रेव नमूने, उद्धर्व-प्रवाह ग्राही जलाशय के ऊपर अधिकतम निस्सारण तापमान, भारतीय मानक संस्था के मानक ४०° फै. के. श्रिनुसार होगा.

- (भा. मा. सं. के अनुसार एक समान ४०° फै. तापमान) प्रत्येक दिहाने पर इस उप खण्ड के प्रयोजनों के लिये निस्सारण दैनिक ग्रांसत केलेन्डर माह के दौरान किये गये भारण: कुल निस्सारण को माह के उन दिनों की संख्या से जब उत्पादन या वाणिज्यिक सुविधा प्रवर्तित रही हो, भाग देकर निकाला जाता है. इस उप खण्ड के प्रयोजन के लिये दैनिक ग्रधिकतम निस्सरण से ग्रभिप्रेत है, किसी केलेन्डर दिन के दौरान किया गया कुल भारण: निस्सारण.
- (ख) दहानों के लिये पी. एच. ५. ५ से कम या ६.० से अधिक नहीं होगा. नमूने मासिक ग्रेब नमुनों के रूप में लिये जाते हैं.
- निस्नाव सीमाग्रों के पालन की ग्रनुसूची.—ग्रावेदक, दहानों से किये जाने वाले निस्सारण के लिये ऊपर विनिर्दिष्ट निस्नाव सीमाग्रों का पालन निम्नलिखित ग्रनुसूची के ग्रनुसार करायेगा:—
 - (एक) प्रगति रिपोर्ट.
 - (दो)तक अन्तिम आयोजनाओं का पूरा किया जाना.
 - (तीन) संविदा देना या वित्त व्यवस्था की अन्य वचनबद्धता.
 - (चार) तक से निर्माण का प्रारंभ किया जाना.
 - (पांच) संनिर्माण प्रगति की रिपोर्ट.
 - (छः) तक संनिर्माण का पूरा किया जाना.
 - (सात) तक प्रचालनात्मक स्तर की प्राप्ति.

- (ख) स्रावेदक, स्रपेक्षित प्रगति रिपोर्ट या जहां ऊपर (क) में विनिर्दिष्ट किसी कार्यवाही का किसी निश्चित तारीख तक किया जाना स्रपेक्षित हो, वहां उपर्यु क्त प्रत्येक स्नुसूचित तारीख तक के पालन या स्रपालन की लिखित सूचना, सम्मित देने वाले प्राधिकारी को प्रत्येक व्यतीत तारीख के स्रधिक से स्रधिक १४ दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा. स्रपालन की प्रत्येक सूचना में निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित होगी:—
 - (१) अपालन का संक्षिप्त वर्णन.
 - (२) और अधिक विलम्ब के बिना व्यपगत अनुसूचित अपेक्षा का पालन करने के लिये आवेदक द्वारा की गई या प्रस्तावित किसी भी कार्यवाही का वर्णन.
 - (३) ऐसे किन्हीं भी कारणों का वर्णन जो अपालन को स्पष्ट या हलका करते हों, तथा
 - (४) उस तारीख का अनुमान, जब तक आवेदक व्यपगत अनुसूचित अपेक्षा का पालन कर देगा तथा ऐसी संभावना का निर्धारण कि आवेदक आगामी अनुसूचित अपेक्षा की पूर्ति समय पर करेगा.
- ४. मानीटरिंग ब्राधार सामग्री का संकलन.—(क) ऊपर विनिर्दिष्ट मानीटरिंग अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु लिये गये नमूने तथा नाम, मानीटरित निस्सारण की मान्ना तथा स्वरूप का प्रतिनिधान करेंगे.
- (ख) प्रद्षकों के विश्लेषण के लिये परीक्षण-प्रक्रिया को स्थापित करने वाले मागंदशीं सिद्धांत के प्रस्थापन के बाद की ऊपर विनिर्दिष्ट मानीटरिंग अपेक्षाओं की पूर्ति के लिये उपयोग में लायी गई सभी प्रतिचयन तथा वैश्लेषिक रीतियां, ऐसे मागंदशीं सिद्धांतों के अनुरूप होगी. जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाये, तब तक प्रतिचयन तथा वैश्लेषिक रीतियां, भारतीय मानक विशिष्टियों के नवीनतम संस्करण के अनुरूप होंगी और जहां वह विनिर्दिष्ट न हो, वहां स्टेण्डर्ड मेथड्स फार दि इक्जामिनेशन आफ वाटर एण्ड वेस्ट वाटर, संस्करण, अमेरिकन पिल्लिक हेल्थ एसोसिएशन, न्यूयार्क, यू. एस. ए., में दिये गये मागं-दर्शी सिद्धांतों का उपयोग किया जायेगा.
- (ग) आवेदक ऊपर विनिर्दिष्ट मासिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये निम्नलिखित स्थानों से नमूने तथा माप लेगा:—

नमूने लेने के स्थान

- (एक) ग्रपशिष्ट के दहाने,
 - (दो) नदी के अनुप्रवाह का झील में संगम से १०० मीटर.
- ५. मानीटरिंग गतिविधियों का श्रिभिलेखन तथा परिणाम.—(क) श्रावेदक, इस सम्मित द्वारा अपेक्षित मानीटरिंग क्रियाकलापों से उद्भूत सभी जानकारी को श्रिभिलिखित करेगा तथा बनाये रखेगा.
- (ख) आवेदक, इस सम्मिति की अपेक्षाओं के अनुसरण में लिये गये प्रत्येक माप या नमूने के संबंध में निम्नलिखित जानकारी अभिलिखित करेगा :—
 - १. नमूना लेने की तारीख, ठीक-ठीक स्थान तथा समय;
 - २. वे तारीखें, जब विश्लेषण किये गये;
 - ३. विश्लेषण किसने किया ;
 - ४. उपयोग में लायी गई वेश्लेषिक तकनीक या पद्धतियां; तथा

- (४) सभी अपेक्षित विश्लेषणों के परिणाम.
- (ग) यदि ब्रावेदक इस सम्मित की अपेक्षानुसार किसी प्रदूषक को बारबार मानीटर करे, तो वह गणना तथा मूल्यांकन रिपोर्ट में ऐसी मानीटरिंग के परिणाम सम्मिलित करेगा, जिनकी अपेक्षा मंडल द्वारा विहित निस्सारण मानीटरिंग रिपोर्ट में की गई हो. ऐसी बढ़ी हुई ब्रावृत्ति निस्सारण मानीटरिंग रिपोर्ट प्रकृप पर दर्शाई जायेगी.
- (घ) आवेदक कम से कम ३ वर्ष तक, मानीटरिंग किया कलापों तथा परिणामों के के सभी अभिलेख रखेगा. जिनमें अंश शोधन के तथा यंत्र समुच्चय के अनुरक्षण तथा निरन्तर मानीटरिंग यंत्रीकरण से उद्भूत मूल पट्टी चार्ट के सभी अभिलेख सम्मिलित होंगे. आवेदक द्वारा किये गये प्रदूषकों के निस्सारण संबंधी किसी अनिर्णीत मुकदमेवाजी के दौरान, या केंद्रीय या राज्य मंडल द्वारा अनुरोध किये जाने पर अभिलेख रखने की यह अवधि बढ़ा दी जायेगी.
- ६. मानीटरिंग परिणामों की रिपोर्ट देना :—(क) इस सम्मित द्वारा अपेक्षित मानीटरिंग संबंधी जानकारी का संक्षेप तैयार किया जायगा और उसकी सूचना एक निस्सारण मानीटरिंग रिपोर्ट प्ररुप सम्यक् रूप से भरकर तथा हस्ताक्षरित कर मंडल के कार्यालय को निम्नलिखित पते पर भेजी जायेगी.

मध्यप्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मंडल, ८७, मालवीय नगर, भोपाल-३, (पिन कोड नं. ४६२००३).

- (ख) प्रस्तुत की गई प्रत्येक निस्सारण मानीटरिंग रिपोर्ट पर निम्नलिखित के हस्ताक्षर होंगे.--
- (१) यदि निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया हो, तो मुख्य कार्यपालन ग्रधिकारी द्वारा जो कम से कम उपाध्यक्ष के स्तर का हो, या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा यदि ऐसा प्रतिनिधि उस सुविधा के, जिससे निस्सारण मानीटरिंग रिपोर्ट में विणत निस्सारण निकलता हो, संपूर्ण प्रचालन के लिये उत्तरदायी हो.
 - (२) यदि किसी साझेदारी द्वारा प्रस्तुत किया गया हो, तो किसी सामान्य साझेदार दारा.
 - (३) यदि एकल स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया गया हो, तो स्वामी द्वारा.
 - (४) यदि किसी नगरपालिका, राज्य या केंद्रीय शासन या अन्य लोक उद्यम द्वारा प्रस्तुत किया गया हो, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कम विन्यास से निर्वाचित अधिकारी कमान आफिसर या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा
- (ग) निस्सारण मानीटरिंग प्ररूप पर प्रस्तुत सभी जानकारी पिछले तीन कैलेण्डर माहों के दौरान किये गये मापों तथा प्रतिचयन (सेंपलिंग) पर आधारित होगी. प्रथम निस्सारण मानीटरिंग रिपोर्ट निर्गमन से ६० दिन बाद समाप्त होने वाली कालावाही के संबंध में प्रस्तुत किया जायगा. उसके पश्चात् प्रतिवेदन भेजने की अवधि प्रत्येक माह की श्रंतिम तारीख को समाप्त होगी. आवेदक प्रत्येक पूर्ण हो चुकी अवधि के पश्चात् आनेवाले माह की अधिक से अधिक पूर्व आंकित २८ तारीख तक निस्सारण मानीटरिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.

- ७. हानिकर मात्रा में तेल तथा परिसंकटमय पदार्थों के निस्सारण की सीमा.—आवेदक विनियमों में परिसंकटमय के रूप में परिभाषित माला में तेल का निस्सारण नहीं करेगा. श्रतिरिक्त ग्रावेदक मंडल द्वारा प्रख्यापित विनियमों में हानिकर के रूग में परिभाषित माला में परिसंकटमय पदार्थों का निस्सारण प्राकृतिक जल सारिणियों में नहीं करेगा. इस सम्मित में दी गई किसी भी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि संस्था के विरुद्ध कोई वैधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी और न ही आवेदक खंडों के अध्ययीन उसके जो दायित्व तथा उत्तरदायित्व हों, या हो सकते हों. या जो शस्तियां अधिरोपित की गई हों, या की जा सकती हों, उनसे मुक्त होगा.
 - दृश्य प्लवमान ठोस पदार्थों तथा फेन की परिसीमा .—इस सम्मति की जारी किये जाने की तारीख से प्रारंभ होकर उसके अवसान की तारीख तक की कालाविध के दौरान आवेदक प्लवमान ठोस पदार्थी या इश्य फेन का निस्सारण नहीं करेगा.
 - संग्रहीत ठोस पदार्थों का व्ययन.—(क) ग्रन्तगृहीत जल शोधन :—ठोस पदार्थों कीच (स्लजेज), बूड़ा, कर्कट, रेत, गाद (सिल्ट) या ग्रन्थ प्रदूषकों, जो आवेदक द्वारा उपयोग किये जाने के पूर्व अन्तगृहीत या प्रदाय जल से पृथक किये गये हों, या उसके शोधन के कारण उत्पन्न हुये हों, की व्यवस्था ऐसी रीति से की जायेगी, जिससे कि ऐसी सामग्रियों से कोई प्रदूषक ऐसे किसी जल में प्रवेश न कर पायें. अन्तगृहीत जल के छानने या उसके शोधन के फलस्वरूप संग्रहीत या पकड़ी गई कोई भी जीवित मछली कवच मछली या ग्रन्य प्राणी जलाशय में वापस डाल दिया जायगा.
 - (ख) ग्रपशिष्ट जल शोधन:—ग्रपशिष्ट जल के शोधन या नियंत्रण के कारण ग्रलग किए गर्ये या उदभूत हुए ठोस पदार्थो (साबिडस), कीच (स्लेजेज), निस्यन्दक (निस्यंदक)प्रतिधावन (बैकबाश) या ग्रन्य प्रदूषकों को व्यवस्था ऐसी रीति से की जायेगी, जिससे कि ऐसी सामग्रियों से कोई प्रदूषक प्राकृतिक जल में प्रवेश न कर जायें.
 - १०. निस्त्राव परिसीमाओं का अपालन.—(क) यदि किसी कारण से आवेदक, इस संपत्ति में विनिदिष्ट किसी दैनिक ग्रधिकतम निस्त्राव परिसीमाग्रों का पालन न करता हो या पालन करने में ग्रसमर्थ रहेगा, तो ब्रावेदक इसकी सूचना संपत्ति जारी करने वाले प्राधिकारी को या उसके समनुशिती को तत्काल फोन क्रमांक भोपाल ६२१४३ या ६२१६७ पर देगा ग्रौर ऐसी ग्रधिसूचना के ५ दिन के भीतर लिखित रूप में निम्नलिखित जानकारी सम्मति जारी करने वाले प्राधिकारी को देगा:—
 - (क) ग्रयालन का कारण,
 - (ख) पालन न करते हुए किए जा रहे निस्सारण का विवरण, जिसमें अन्तगृहीत जल पर उसका प्रभाव भी सम्मिलित है,
 - (ग) पूर्वानुमानित समय, जब तक अपालन की स्थिति बनी रहने की प्रत्याशा है या यदि स्थिति मुधार ली गई हो, तो ग्रपालन की कालावधि,
 - (घ) निस्त्राव परिसीमा का पालन न करते हुए किए जा रहे निस्सारण को कम करने तथा निरस्त करने के लिये आवेदक द्वारा किए गए उपाय, तथा
 - (ङ) अपालन की स्थिति के आवर्तन को रो कने के लिए आवेदक द्वारा किये जाने वाले उपाय.

- (ख) स्रावेदक इस सम्मति में विनिर्दिष्ट किसी निस्नाव परिसीमा के स्रपालन से उदभूत होने वाले क्योर प्राकृतिक जलाशय पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को कम करने के लिये सभी उचित उपाय करेगा, जिनमें ऐसी त्वरित या स्रतिरिक्त मानीटरिंग भी सम्मिलित है, जो निस्नाव परिसीमा का पालन न करते हुए किए जा रहे निस्सारण के स्वरूप तथा प्रभाव को अवधारित करने के लिये आवश्यक हो.
- (ग) इस सम्मति की कोई भी बात आवेदक को अपालन के कारण इस पर अधिरोध्य सिविल या दांडिक शास्तियों से मुक्त नहीं करती, भले ही ऐसा अपालन उसके नियंत्रण से परे कारणों से अर्थात् उपकरण के बिगड़ जाने, विद्युत् शक्ति के बंद हो जाने, दुर्घटना या प्राकृतिक संकट जैसे कारणों से हुआ हो.
 - ११. बैच निस्सारण की परिसीमा:--

विशेष शतु.--

- विद्युत शक्ति के बंद हो जाने पर व्यवस्था.— श्रावेदक या तो—
 - (क) तारीख..... तक सम्मति जारी करने वाले प्राधिकारी को लिखित रूप से प्रमाणित करेगा कि आवेदक ने सम्मति के निवन्धनों तथा गर्ती का पालन करते रहने के लिये एक वैकल्पिक विद्युत शक्ति स्रोत की प्रतिष्ठापना या व्यवस्था कर ली है, जो आवेदक द्वारा उपयोग में लाया जा रही सभी सुविधाओं के प्रचालन के लिए पर्याप्त है, अथवा
 - (ख) इस सम्मित की प्रभावी तारीख से अधिक से अधिक ३० दिन के भीतर, सम्मित जारी करने वाले प्राधिकारी को लिखित रूप में यह प्रमाणित करेगा कि इस सम्मित के निबन्धनों तथा अतों का पालन करते रहने के लिये आवेदक द्वारा उपयोग में लाई जा रही किन्हीं भी सुविधाओं को विद्युत शक्ति की पृति के एक या अधिक प्राथमिक स्रोतों के कम हो जाने, हानि हो जाने या बिगड जाने के पश्चात् आवेदक, इस सम्मित के निबन्धनों तथा अतों का पालन करते रहने के लिये उत्पादन तथा या सभी निस्सारणों को बंद, कम या अन्य प्रकार से नियंत्रित करेगा.
- ५३. शोधन सुविधाओं के उप-निकास का प्रतिषेध.—इस सम्मति के निवन्धनों तथा शर्तों का पालन करते रहने के लिये आवेदक द्वारा उपयोग में लायी जा रही सुविधाओं से किए जाने वाले किसी निस्सारण का दिक्-परिवर्तन या उप निकास निम्नलिखित स्थितियों को छोड़ अन्यथा प्रतिषिद्ध है:—
 - (एक) जहां ऐसा करना प्राण हानि या संपत्ति को होने वाली गंभीर क्षति को रोकने के लिये अपरिहार्य हो गया हो, या
 - (दो) इस सम्मति के निबन्धनों तथा गतों के पालन के लिये ग्रावश्यक किसी सुविधा को अत्याधिक बरसाती जल निकास या ग्रपवाह (रनग्राफ) से क्षति पहुंचती हो. ग्रावेदक, ग्रपालन की सूचना देने की उपर विनिद्धिट प्रक्रिया के ग्रनुसार प्रत्येक ऐसे दिक परिवर्तन या उप निकास की ग्रधिसूचना लिखित रूप में सम्मति जारी करने वाले प्राधिकारी को तत्काल देगा.
- १४. ग्रिधिप्लावन निवारण तथा संशोधन ग्रायोजना.—इस सम्मति की प्रमावी तारीख से ६° दिन के भीतर ग्रावेदक, इस सम्मति के ग्रंतर्गत ग्राने वाली सुविधा के लिए, एक ग्राधिप्लावन निवारण संशोधन तथा प्रत्युपाय ग्रायोजना तैयार करेगा तथा सम्मति जारी करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा.

ऐसी ग्रायोजना में ग्रधिप्लावनों तथा तैल ग्रीर परिसंकटमय पदार्थों के ग्रप्राधिकृत निस्सारण के निवारण से संबंधित निम्नलिखित जानकारी तथा प्रक्रियाएं सम्मिलित होंगी.

- (क) मुविधा का प्रबंध करने के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों, समुचित राज्य तथा केन्द्रीय प्राधिकारियों को तत्काल ग्रधिसूचित करने के लिये उपयोग में लाई जाने वाली रिपोर्ट करने की प्रणाली का विवरण;
- (ख) ग्रिधिप्लावनों तथा ग्रप्राधिकृत निस्सारणों के निवारण, संरोधन या शोधन के उपकरण ग्रथवा सुविधायों (जिसमें समग्र सुविधाएं सम्मिलित हैं) का विवरण;
- (ग) सुविधा में प्रयुक्त, संसाधित अथवा संग्रहीत समस्त तैल तथा परिसंकटमय सामग्रियों की एक सूची, जिसमें प्रत्येक सूचीबद्ध सामग्री के लिए परिसर में रखी गई सामान्य मात्रा भी सम्मिलत है.
- (घ) इस सम्मति की प्रभावी तारीख के पूर्ववर्ती ३६ महीनों की कालाविध में घटित किन्हीं भी ग्रिधिप्लावनों ग्रथवा ग्रप्राधिकृत निस्सारणों तथा ग्रावेदक द्वारा ग्रिधिप्लावनों ग्रथवा ग्रप्राधिकृत निस्सारणों के पुनः घटित होने की संभावना को निवारित ग्रथवा कम करने के लिए किए गए ग्रनुवर्ती उपायों का एक संक्षिप्त विवरण; ग्रौर
- (ङ) अतिरिक्त उपस्कर अथवा मुविधाओं के लिए एक कार्यान्वित अनुसूची, जो उपर्युक्त उप-पैरा (ख) के लिए अपेक्षित होती, किन्तु जो अभी तक प्रवर्तनशील नहीं है.
- १५. अन्तरिम निस्नाव की अपेक्षाएं.—इस सम्मति तथा निस्सारण के प्राधिकरण का अवसान मध्यराति को हो जाएगा. आवेदक अवसान की तारीख के बाद निस्सारण नहीं करेगा. आवेदक मंडल द्वारा यथा अपेक्षित जानकारी, प्ररूप तथा फीस अवसान की उपर्युक्त तारीख के पूर्व १८० दिन तक न कि उसके पश्चात् प्रस्तुत करेगा.

सदस्य सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण मंडल, भोपाल के प्राधिकारी से.

प्ररुप

(नियम 3 देखिये)

[जल (प्रद्षण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के ग्रधीन सम्मति के लिये ग्रावेदन-पत्र का प्ररुप]

(तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाय)

प्रेषक:

दिनांक-

प्रति,

सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण मण्डल, भोपाल.

महोदय,

मैं / हम (1) तक की कालविध के लिये गर्दे पानी /उद्योग निस्नाव के निस्तारण के लिये किसी नये या परिवर्तित निकास का उपयोग करने / गन्दे पानी / उद्योग निस्नाव का

नाग 4 (ग)] मञ्जावस राजापत्र, विनाम 2 जनवरी 1976
नया निस्सारण आरंभ करने के लिये या गंदे पानी/उद्योग निस्नाव का निस्सारण करना जारी रखने के लिये जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6 सन् 1974) की धारा 25 धारा 26 के अधीन सम्मति के लिये आवेदन करता हूं/ करते हैं:—
(क) निकास नालियों/ निकासी मल सुरंगी / मल शोधन संकर्मों से होकर गंदा पानी/डाबर (सुलेज).
(ख) निकास नालियों (निकासी मल सुरंगी/ मल शोधन संकर्मों से होकर उद्योग निस्नाव,
(ग) निम्नलिखित में ठोस अपिशष्ट (3)—
(एक) सरिता नदी या एक एक विकास
(दो) सिंचाई के लिये भूमि पर, जिसका सर्वेक्षण अमांक
(तोन) झील/ तालाव में जो सरिता / नदी के समीपस्थ/की दूरी पर है, या
((चार) सर्वेक्षण क्रमांक के ग्रन्तर्भोम स्तर में जो ''' सिरता / नदो के समीपस्थ / की दूरी पर
है, खुले अन्तःश्रवण के लिये सीधे भूमि पर, या
(पांच) के नाम से ज्ञात ज्वारीय ज़ल य ज्वारनद मुखी जल/या
(छ) के रूप में दिशत तट के साथ साथ/से दूर समुद्र मे
A CONTRACT OF THE CONTRACT OF
2. उपबंध, परिणिष्ट, अन्य विशिष्टियां और रेखांक तीन प्रतियों में इससे संलग्न है.
 मैं/हम ग्रागे यह घोषित करता हूं/करते हैं, कि उपावन्ध, परिकिंटों तथा रेखांकों में दी ग जानकारी में रे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के ग्रनुसार सही है.
4. मैं/हम एतद्द्वारा निवेदन करता हूं / करते हैं कि निस्सारण के स्थल या माला या प्रस्प में परिवर्त होने की दशा में सम्मति के लिये नया आवेदन किया जायेगा तथा जब तक ऐसी सम्मति नहीं दी जाती तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा.
5. मैं /हम एतद्द्वारा सहमत होता हूं /होते हैं कि मैं / हम सम्पति के नवीकरण के लिये राज्य मंडर से ग्रावेदन, निकास / निस्सारण के लिये समस्त कालावधि की समाप्ति की तारीख से एक मास पूर्व प्रस्तु करंगा / करेगें, यदि उसे तत्यपश्चात् जारी रखा जाना है.
प्रस्तुत करने का वचन देता हं/ देते हैं: का मार्थ
भवदीय.
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
हस्ताक्षर।-
21(d(d) thi ele

संलग्नक.--

उपाबंध.

निकास/विसर्जन	विद्यमान व व्यक्ति स्थापन भागा स्थापन स्थापन
छिपायेगा, वह अधिनियम के अध	त जानकारी देगा या उससे संबंधित कोई जानकारी बीन दंड का दायी होगा. इस उपबंध को भरते समय कोई संबंध नहीं है तो वह सुसंगत मद के सामने
(1) ग्रावेदक का पूरा नाम तथा पता	
and the second s	(टेलीफोन नंबर)
(2) भूमि / परिसर / संस्था / कारखाना उद्योग/स्थानीय निकाय का पूरा नाम तथा पता	(टेलोफोन नंबर) (तार का पता)
T-MARIN TOWNS OF S	जिला तालुका शहर शहर ग्राम ऽ तगर सर्वेक्षण क. वैदेयर में क्षेत्रफल राजस्व सर्वेक्षण क.
(4) वह मास तथा वर्ष लिखियें जिसमें भूमि/परिसर संस्थान / कारखाना / उद्योग को वास्तव में चालू किया गया था या चालू किया जाना प्रस्तावित है या वह मास तथा वर्ष बतलाइये जबसे स्थानीय निकाय कार्य कर रहा है?	
(5) उससिविल/सैनिक/प्रतिरक्षा ग्रौद्योगिक संपदा का नाम लिखिये जिसको प्रशासनिक ग्रिधकारिता के ग्रधीन ग्रावेदक की भूमि/ परिसर स्थित है.	कलेक्टर कार्यालय निगम नगरपालिका ग्राम पंचायत छावनो प्रतिरक्षा विभाग पत्तन्यास राज्य शासन
(6) (क) यह कथन की जिये कि क्या भूमि/ परिसर/संस्थान / कारखाना /उद्योग प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है ?	हां/ नहीं.

(7) क्या उद्योग / कारखाना जिसके लिये आवेदन हां/नहीं किया गया है रिववार / अवकाश के दिन बंद होता है.

(8) उद्योग कारखाने का प्रति वर्ष का कार्य का मौसम लिखिये.	
TRIP IN ES.	से
	······································
	से

प्रतिवर्ष

(9) (क) कारखाने में हाजिर होने वाले कर्मकारों पारी पारी पारी सामान्य पारी की सख्या क. 1 क. 2 क.3 घंटे घंटे घंटे

- (ख) परिसरों में रहने वाले कर्मकारों की संख्या
- (10) (केवल स्थानीय निकायों के लिये)
- (क) वर्तमान जनसंख्या
- (ख) कितनो जनसंख्या के लिये नियमित मल अपवहन उपलब्ध है ?
- (ग) कितनी जनसंख्या के लिये मल सफाई शौचालय उपलब्ध है.
- (घ) कितनी जनसंख्या के लिये मल गर्त (सैप्टिकटैंक) (पिटप्रिवी) सुविधाएं उपलब्ध है?
- (11) (क) कच्चे माल जैसे धातुओं, मिश्र धातुओं रसायनों, तेलों, ई धनों ग्रादि का प्रतिमाह मीटरिक टन में उपयोग दर्शाने वाली सूची दीजिये:—

धातु	तथा मिश्र धातु	200 C	नाम/भार
रसायन	अवार्वनिक कार्वनिक	रंजक कीटनाशी	नाम / भार)
तेल तथा ग्रीज			नाम / भार
ईं धन	(क) लकड़ी	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
	(ख) कोयला	Street Carlotte	नाम / भार

(可)	यदि अनुमोदित किय	ग जाता है तं	र प्राधिकारी का	नाम
प्रस्त्तत	कीजिये दो प्रभावित	न प्रतियां भेजी	जायं.	

- (16) (ग्र) क्या किसी दुकान/दुकानों से निकलने थाला निस्त्राव विवेला है? यदि है तो इस निस्त्राव का परिणाम इया है?
- (१७) क्या निम्नलिखित के निस्तारण के लिये कोई पहले से किया गया जो किए जाने व्यवस्थाएं हैं. के लिये प्रस्तावित है (क) सार्वजनिक भूमिगत मल नाली (सीवर) में हां/नहीं हां/नहीं घरेलू निस्त्राव. (ख) सार्वजनिक भूमिगत मल नाली (सीवर) में हां/नहीं. हां/नहीं ग्रौद्योगिक निस्त्राव. (ग) मल नाली (सीवर) जिस लोकप्राधिकारी की हो उसका नाम दीजिए. १८. निम्नलिखित के निस्तारण के लिये कोई पहले से की जा चकी है. की जाने के लिये व्यवस्था है. प्रस्तावित है. (क) सिचाई के लिये स्थलिय घरेलू निस्तव हां/नहीं हां/नहीं
- (ख) सिंचाई के लिये स्थलिय बौद्योगिक निस्ताव हां/नहीं हां/नहीं
- (ग) भूमिगत स्तर में घरेलू निस्वाव हां/ नहीं हां/नहीं
- (घ) उपर्युक्त (क) के लिये प्रयुक्त भूमि हैं क्टेयरों में दर्शित कीजिये.
- (ङ) उपर्युक्त (ख) के लिये प्रयुक्त भूमि हैक्टेयरों में दिशित कीजिये.
- १६. नीचे उल्लिखित स्थानों के लिये व्यवस्थित ... निस्त्राव के ग्रपवहन को मात्रा लिटरों में दीजिये. घरेलू

घरेलू/ग्रीचोगिक मिश्रित

- (एक) सरिता/नदी.
- (दो) सिंचाई के लिये भूमि पर.
- (तीन) रिसन के लिये भूमि पर.
- (चार) झील/तालाब.
- (पांच) ज्वालिय जल.
- (छ) ज्वारनद मुखी जल.
- (सात) खुला समुद्र.

२०. प्रतिकूल सरिता या ज्वारीय भ्रवस्था में निस्त्रावों के संग्रहण के लिये टैंकों के लिये पश्चजल (लैंगून) के बराबर करने या भरने के लिए क्या कोई व्यवस्था है. पहले से किया गया जो किये जाने के लिये प्रस्तावित है.

- (एक) घरेलू निस्त्राव.
- (दो) ग्रौद्योगिक निस्ताव.
- (तीन) मिथित निस्त्राव.
- २१. यदि भूमियों पर पम्पन का विचार करना पड़े हां / नहीं तो क्या पर्याप्त भूमि उपलब्ध है ? उपलब्ध की जा सकती है ?

२२. (एक) निम्नलिखित के संबंध में घरेलू / ग्रौद्योगिक / मिश्रित निस्तावों की संरचना में ब्यौरे दीजिए:—

शोधन के पूर्व	निस्त्राव शोधन के पश्चात् निस्त्राव.			ाव.	
ग्रधिकतम निस्तारण पर	न्यूनतम निस्तारण पर		ग्रधिकतम निस्तारण पर	न्यूनतम निस्त्रारण पर	श्रौसत निस्तारण पर
(9)	(२)	(\$)	(8)	(1)	(६)

- (एक) पी. एच.
- (दो) वर्ण यूनिट.
- (तीन) तापमान से.
- (चार) निलंबित ठोड पदार्थ.
- (पांच) कुल मि. ग्रा. प्रति लिटर.
- (ख) स्थिर मि. ग्रा. प्रति लिटर.
- (ग) वाष्पणील मि. ग्रा. प्रति लिटर.
- (घ) धुला हुम्रा ठोस पदार्थ.
- (क) कुल मि. ग्रा. प्रति लिटर.
- (ख) स्थिर मि. ग्रा. प्रति लिटर.
- (ग) वाष्पशील मि. ग्रा. प्रति लिटर.
- (छ) कुल बाष्पशील ठोस पदार्थ मि. ग्रा. प्रति लिटर.
- (सात) अमोनिकल नाइट्रोजन (मि.ग्रा. प्रति लिटर)/एन.
- (ग्राठ) नाइट्रेट्स (मि.ग्रा.प्रतिलिटर)/एन
- (नौ) धुली हुई आंक्सीजन मि.ग्रा. प्रति लिटर.

(दस) बी.ग्रो.डी. ५ दिन २० डिग्री से. मि.ग्रा. प्रति लिटर.

(ग्यारह) सी.म्रो.डी.मि.म्रा. प्रति लिटर.

(बारह) तेल तथा ग्रीज मि.ग्रा. प्रति लिटर.

(तेरह) क्लोराइड मि. ग्रा. प्रति लिटर (सी. ग्राई. के रूप में).

(चौदह) फास्फेट(पी) मि.ग्रा. प्रति लिटर.

(पंद्रह) फेनोलिक यौगिक मि.ग्रा. प्रति लिटर. (फेनोल के रूप में).

(सोलह) साइनाइड (सी एन के रूप में) मि.ग्रा. प्रति लिटर.

(सन्नह) सल्फाइड (एस के रूप में) मि.ग्रा. प्रति लिटर.

(ग्रठारह) सल्फेट (एस. ग्रो. के रूप में) मि.ग्रा. प्रति लिटर.

(उन्नीस) कीटनाशी श्रौषधियां मि.ग्रा. प्रति लिटर.

(बीस)कुल ग्रविशब्द क्लोरीन (सी. एलट् के रूप में) मि.ग्रा. प्रति लिटर.

(इक्कीस) फ्लोराइड एफ के रूप में कि. ग्रा. प्रति लिटर.

(बाइस) बोरोन (बीं के रूप में) कि.ग्रा. प्रति लिटर.

(तेईस) ग्रसें निक (ए एस के रूप में) मि.ग्रा. प्रति लिटर.

(चौबीस) बेरियम (बी.ए.के रूप में) मि. ग्रा. प्रति लिटर.

(पच्चीस) प्रतिशत सोडियम.

(छब्बीस) कैंडिमियम, (सी.डी.के रूप में) मि.ग्रा. प्रति लिटर.

(सत्ताईस) तांबा (सी.यू.के रूप में) मि.ग्रा. प्रति लिटर.

(ग्रट्ठाईस) सीसा (पी.बी. के रूप में) मि. ग्रा. प्रति लिटर.

(उन्तीस) क्रोमियम (क) सी. ब्रार. के रूप में (मी. ग्रा. प्रति लिटर.

> (ख) षद्संयोजकता (ड्रेक्सा वेलेन्सी) (सी.बार. के रूप में) मि.बा. प्रति लिटर).

(तीस) पारद (एच. जी के रूप में) मि. ग्रा. प्रति लिटर.

(इक्तीस) निकेल (एन. ब्राइ. के रूप में) मि.ग्रा. प्रति लिटर.

(बत्तीस) सिलीनियम (एस. इ. के रूप में) मि.ग्रा. प्रति लिटर.

(तैतीस) रजत (ए. जी. के रूप में) मि. ग्रा. प्रति लिटर.

(चौतीस) जस्त (जेड एन. के रूप में) मि. ग्रा. प्रति लिटर.

(पैतीस) कोई अन्य धातुएं मि. ग्रा. प्रति लिटर.

(छत्तीस) कैल्जियम क्लोरोफार्म सत्व

20 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनाक :	2 जनवरी 1976	[भाग 4 (ग)					
(सैतीस) नाम्नि कीटमार ग्रीवधियां मि.ग्रा. प्रति लिटरः							
(भ्रडतीस) कोलाइरुपी जीव. म. पी. एन प्रति १००मि.लि. (मासिक श्रौसत).							
(उन्चालीस) श्रविषालु घटकों के लिये वायो ऐसे र्ट एल. ५० (६६ घंटे).	(उन्चालीस) भ्रविषालु घटकों के लिये बायो एँसे टी. एल. ५० (६६ घंटे).						
टिप्पण:—(१) किसी सक्षम प्रयोगशाला द्वारा किए गए प्रतिनिधि नमूनों के विश्लेषण के रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत कीजिए.							
(२) उपर उल्लिखित पैरा मीटरोंके । पद्धतियों का स्रमुसरण किया ।		द्वारा यथा अनुमोदित अवधारण					
	हां / नहीं	AND THE PARTY OF T					
(२२) (ख) क्या निस्त्राव ग्रविषालु है	हां / नहीं						
(ग) यह बताइए कि क्या भौद्योगिक निस्त्राव							
(एक) दुर्गन्ध युक्त है?	हां / नहीं						
(दो) क्षोभकर भ्रौर /या हानिकारक है	हां / नहीं						
(तीन) संक्षारक है	हां / नहीं						
(चार) रंग युक्त है	हां / नहीं						
(घ) क्या किसी समय उसमें ग्रचानक कोई १०° डिग्री सेंटीग्रेड से ग्रधिक तापमान हो जाता है		Total (1) selfu (186) se Salain (18 (1866)					
(२३) (क) क्या ग्रवशिष्ट जल के निम्नलिखि उपलब्ध है:—	त परीक्षण करने के लि	तये आवेदक के पास सुविधाय					
(१) भौतिक	वर्तमान	प्रस्थापित					
(२) रासायनिक	हां /नहीं	हां / नहीं					
(३) जीवाणवीय	हां/नहीं	हां / नहीं					
(४) आविषालुता पारक	हां/नहीं	हां / नहीं					
(ख) यदि हां, तो उपस्कर के व्यौरे दीजि	ų						
(२४) जिस भूमि /परिसर छादि के लिये आवेदन गया है वह क्या खुले हैं?	किया						
	अत्यंत प्रदूषण द्रव्य '	*****************					
	धाविषालु कावीनक इ	कर्वनिक सूक्ष्म जैविकीय.					
(क) शीतलन टैंक							
(ख) मिश्रण टैंक (ग) मिश्रण तालाब	जिनमें अन्तर्विष्ट है						
(घ) मिश्रण कुएं हैं.	India alithae 6	FOR STATE MES					

२५. ठोस अविभिष्टों के ब्यौरे दीजिए:	वर्णन	मात्रा संग्रहण की पद्धति	ग्रपवहन की पद्धति.
मौसमी अविशिष्ट अधिम्लावन			
उचिछण्ट सामग्री			
	हस्ताक्षर' · · ·		
	भीर पता		
	फर्म का नाम तथ	ा पता • • • • •	

संलग्नक

निस्त्रवों के प्रक्रमचित्र

प्रारूप और उपाबंध को भरने के लिये स्पष्टीकारक टिप्पण

उपाबंध टिप्पण केवल उन मदों के लिये दिए गए हैं जिनके लिये स्पष्टीकरण वांछनीय समझा गया है. ग्रन्य मदें स्वयं स्पष्टीकारक हैं.

प्ररूप

- (१) यहां भूमि /परिसर के स्वामी का नाम लिखिये, यदि वह आवेदक उद्योग या कारखाने से मिन्न है. यदि भूमि/ परिसर, कारखाना, उद्योग के हैं तो "स्वयं" लिखिए.
- (२) यहां वह तारीख लिखिए जब तक सम्मति मांगी गई है.
- (३) यहां नदी/ सरिता/ ज्वारीय जल/ समुद्र का, जो भी लागू हो, स्थानीय नाम लिखिये.

प्रारूप का उपाबंध.

"निकास" से अभिप्रेत है उस निस्ताव के विसर्जन के लिये व्यवस्था जिसके लिये सम्म<mark>ति मांगी गई है.</mark>

"विसर्जन" से ग्रभिप्रेत है वह निस्त्राव जो निकास में से निकल रहा है.

"वर्तमान" से वह अभिन्नेत है जो सम्मति के लिये आवेदन करने के समय प्रवर्तन में है.

"नए" से वह अभिन्नेत है जो भविष्य में प्रवर्तन में लाया जाएगा.

"परिवर्तित" से वह अभिन्नेत है जो विसर्जन की मात्रा और / या स्वरूप में परिवर्तीत विजर्सन की ब्यवस्था और / या स्थल, आदि में पविर्तन के कारण उपान्तरित किया गया है.

- मद १. यहां उस व्यक्ति का नाम दीजिये जो संस्था/ उद्योग/ कारखाना / स्थानीय निकास श्रादि के द्वारा उनके विधिक कामकाज को करने के लिये प्राधिकृत है.
- मद२. यहां संस्था/ कारखाना/ उद्योग ग्रादि का रजिस्ट्रीकृत नाम दीजिए जिसके ग्रधीन कारबार चलाया जाता है.
- मद १. यहां संबंधित संस्था का नाम (जैसे कि लोक उद्यम ब्यूरो आदि) लिखिये, जिसके प्रशासनिक नियंत्रण में कारखाना / उद्योग आदि स्थापित किया गया है.
- मद ६. केवल उन क्षेत्रों को लागू है जो प्रतिशिद्ध क्षेत्र है, जैसे आईनेन्स कारखाना, टकसाल आदि.
- मद १३. (ख) निस्ताव की प्रतिषंटा / दैनिक अधिकतम मात्रा के माप की पढित लिखिये जैसे कि प्रवाह मापी, बेन्टुरीमापी नोच सम्प मेजरमेन्ट या लगभग अनुमानित आदि.
- मद १६. (क) यदि निस्ताव का शोधन किया जाता है तो पृथकतः शोधन की पढित तथा शोधन प्रक्रिया का कमदर्शी यारेख लिखिये
- मद १६. (ख) यहां "हां" लिखिये यदि किसी अन्य प्राधिकारी जैसे की स्थानीय निकाय या सरकारी विभाग ने पहिले ही शोधन करने या उसके बिना निस्लाय के विसर्जन को, कारखाना/ उद्योग की स्थापना के समय अनुमोदित किया है.
- मद १६. यहां विभिन्न प्रकार के निस्ताव की, जैसे घरेलू /ग्रीशोगिक या मिश्रित ग्रादि की माला दीजिये, जो कि सरिता / नदी, भूमिशों या समुद्र ग्रादि में, जो भी लागू हो, जाने देने के लिये प्रस्थापित है.
- मद २२. (क) जो विश्लेषण दिया जाना है, उसके अंतर्गत उतने पैरा मीटर आएंगे जितने कि निस्त्राव में पाए जाने की आशा है. ? यदि कुछ पैरामीटर पाए जाने की आशा नहीं है तो कहिए कि लागू नहीं होते. यदि मदों के अधीन दिए गए पैरामीटरों से भिन्न किन्हीं पैरामीटरों के होने की अशा है तो उन्हें अंत में वर्णीत कीजिए. विश्लेषण घरेलू, औद्योगिक और मिश्रित निस्त्रावों के लिये अलग-अलग दिया जाएगा.
- मद २२. (ख) यहां विषावतता से वह अभिग्रेत है मानक पढ़ितयों में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, मछली पर जैव आमापन अध्ययन से स्थापित है.
- मद२४. यह मद ग्रत्यन्त प्रदूषणकारी पदार्थों को लागू होने के लिये ग्रिभप्रेत है, जो कि सामान्य-तया निस्तावों में नहीं पाए जाते हैं, किन्तु जिन पर परिसरों में कार्यवाही की जाने की अपेक्षा की जाती है और जो अकस्मात निस्ताव में बड़ी माता में मिल सकते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. थी. श्रीवास्तव, उपसचिव. No. 3881-XXXIII-75.—In exercise of the powers conferred by section 64 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974), the State Government, after consultation with the State Board for the Prevention and Control of Water Pollution, hereby makes the following rules, namely:—

RULES

- 1. Short Title and Commencement.—(i) These rules may be called the Water (Prevention and Control of Pollution) (Consent) Madhya Pradesh Rules, 1975.
- (ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette".
- 2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise require,—
 - (a) "Act" means the Water (Prevention and Control of Pollution)
 Act, 1974 (No. 6 of 1974);
 - (b) "Board" means the Madhya Pradesh State Prevention and Control of Water Pollution Board, constituted under subsection (1) of section 4;
 - (c) "Section" means the section of the Act;
 - (d) "Chairman" means the Chairman of the Board;
 - (e) "Member-Secretary" means the Member-Secretary of the Board;
 - (f) "Member" means member of the Board nominated by the Government:
 - (g) "Consent" means the sanction of the authority of the Board for the discharge of the effluent;
 - (h) "Consent Fees" means the fees charged by the Board for the grant of Consent by the Board;
 - (i) "Investment" means the amount of capital invested by the industry on capital works including land, machinery and equipment;
 - (j) "Licence Fees" means the licensing fees required to be paid annually to the Board for the discharge of sewage or trade effluent into a stream or well.
- 3. Procedures.—Any person who is discharging sewage or trade effluent into the stream or well shall apply in the form appended to these Rules to the Secretary, Madhya Pradesh, State Prevention and Control of Water Pollution Board, Bhopal.

- 4. Prevention and Control by the Board.—(i) In the case of the existing industries the person/persons will make the application giving all particulars of his premises producing the effluent. The Act envisages such an application within 3 months of the constitution of the Board. This time limit may be extended by the Board from time to time according to exigencies.
- (ii) In the case of improvements to the existing facilities the person/ persons shall make an application for the Consent of the Board which will be deemed as a new application.
- (iii) In the case of new discharges the person/persons shall submit the application giving the details of the manufacturing processes etc., indicated in the Consent forms along with appliances and designs of Waste Treatment facilities that are to be provided.
- (iv) The application forms may be obtained from the office of the Madhya Pradesh State Prevention and Control of Water Pollution Board, Bhopal, on payment of Rs. 5 as application form fee.
- (v) The application form should be duly accompanied by the prescribed consent fee as per following schedule:—

Industries having an investment of-

(1) more than Rs. 5 crores.	Rs.	15,000.
(2) more than Rs. 1 crore but less than Rs. 5 crores.	Rs.	7,500.
(3	more than Rs. 50 lakhs but less than Rs. 1 crore.	Rs.	3,500.
(4	nore than Rs. 10 lakhs but less than Rs. 50 lakhs.	Rs.	1,000.
(5	6) more than Rs. 1 lakh but less than Rs. 10 lakhs.	Rs.	500.
(6	3) Minimum fee /	Rs.	500.

- (vi) On receipt of the application form by the Board, the Board will have a right to examine the proposed site or existing site and ask for any such details which may not have been elaborated in the application form.
- (vii) The date on which complete information connected with application form has been received by the Board shall be the date of receipt of application form for calculating the period of 4 months for the purpose of sub-section (7) of section 25.
- (viii) On examination by the Board, the consent will be granted to the applicant with or without any conditions in the form set out in the Schedule appended to these rules.
- (ix) The applicant shall conform to the Consent given by the Board and abide by instructions that are given in the Consent.

- (x) The applicant shall submit periodical information and other reports if so desired in the Consent of the Board.
- (xi) Where Consent is given subject to the condition of providing measures by the applicant for treating the effluent to conform to the standard the applicant shall complete such requirements within the stiputated time.
- 5. Annual Renewal.—(1) The Board will have a right to revise its decision regarding the Consent.
- (2) The Board may alter, modify or include any particular conditions in the Consent which has to be implemented by the applicant.
- (3) In order to maintain a clean condition of the natural streams, the Board will have a right to inspect any premises and collect samples.
- (4) The Board may also make surprise checks of premises and the applicant shall render all assistance desired for such officers authorised by the Board in the performance of the inspections.
- (5) The applicant shall pay an annual licensing fees to the Board as per following schedule:—

A.—Industries having an investment of :—

(i)	more than Rs. 5 crores	Rs.	5,000.
(ii)	more than Rs. 1 crore but less than Rs. 5 crores.	Rs.	2,500.
(iii)	more than Rs. 50 lakhs but less than Rs. 1 crore.	Rs.	1,000.
(iv)	more than Rs. 10 lakhs but less than Rs. 50 lakhs.	Rs.	500.
(v)	more than Rs. 1 lakh but less than Rs. 10 lakhs.	Rs.	250.
(vi)	Minimum fee	Rs.	250.

B.—Annual licence fee and Consent fee chargeable from Local Bodies extracting water from natural resources and discharging effluent into streams shall be as under:—

(a) Municipal Corporation		Rs.	3.000.
(b) Class AA Municipalities	by sub	Rs.	2,000.
(c) Class A Municipalities	off sell by 189 and we have	Rs.	1,000.
(d) Class B Municipalities	are the transfer of the same	Rs.	500.
(e) Class C Municipalities	- HILLIGHT AND TO SECTION	Rs.	250.
(f) Minimum fee		Rs.	250.

6. Inspections.—With a view to keeping a constant check on the quality of effluents discharged into the natural streams, the Board would keep continuous monitoring of samples at fixed points in the streams.

They may also make such surprise checks and inspections and the applicant shall render all assistance for such inspections.

7. Emergencies.—In case of emergencies when the water quality of the stream suddenly deteriorates the applicant shall co-operate with the Board and if necessary close down certain operations to prevent undue pollution in the streams as a temporary measure.

SCHEDULE

[See rule 4(Viii)]

OFFICE OF THE MADHYA PRADESH STATE PREVENTION AND CONTROL OF WATER POLLUTION BOARD, 87 MALAVIYA NAGAR, BHOPAL-3.

CONSENT FORM

No.	/WPCB/ Bhopal, Dated the
Subje	ect.—Consent to
	or the discharge of effluent under section 25/26 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.
	ence.—Application No.
	lated (expiry dates
eiflue	With reference to the above application for Consent to discharge ent into the natural water courses under the Water (Prevention and
	rol of Pollution) Act, 1974, hereinafter referred to as the Act, is authorised by the State Board to discharge
local	idustrial and other effluents arising out of their premises into the stream/river/well in accordance with the general and special tions as mentioned in the Annexure.
	2. This Consent shall be valid for a period of 12 months only nencing from
1	Dated this day of 19
	For and on behalf of the Madhya Pradesh State Prevention and Control of Water Pollution Board,
	Seal Member-Secretary.
1	Enclosure : Annexure

ANNEXURE

					4.00.2.4.4		-	
	ENCLOSURE	TO REFEREN	CE LET	TER IS	SUED	то		
VIDE (CONSENT No.	en en vivil						
	/WPCB/75.	, DATED						
A - GF	ENERAL CONDI	ITIONS:						

All discharges authorised shall be consistent with the terms and conditions of this Consent. Facility expansions, production increases, or process modifications which result in new or increased discharges of pollutants must be reported by submission of a new Consent application or if such new or increased discharge does not violate the effluent limitations specified in this Consent, by submission to the Board details of such new or increased discharges of pollutants in which case the Consent may be modified to specify effluent limitations for any pollutants not identified and limited herein, the discharge or any pollutant more frequently than or at a level in excess of that identified and authorised by this Consent shall constitute a violation of the terms and conditions of this Consent.

- 2. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following:—
 - (a) Violation of any terms and conditions of this Consent;
 - (b) Otaining this Consent by misrepresentation or failure to disclose fully all relevant facts;
 - (c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorised discharge.
- 3. Notwithstanding para (2) above, if a toxic effluent standard or prohibition (including any schedule of compliance specified in such effluent standard or prohibition) is established for a toxic pollutant which is present in the discharge authorised herein and such standard or prohibition is more stringent that any limitation upon such pollutant in this consent, the Consent shall be revised or modified in accordance with the toxic effluent standard or prohibition that the Board may consider and the applicant shall be so notified.
- 4. The applicant shall allow the staff of the Madhya Pradesh State Prevention and Control of Water Pollution Board, and/or their authorised representatives, upon the representation of credentials:
 - (a) To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under he terms and conditions of this Consent;

- (b) To have access to and copy at reasonable times any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent;
- (c) To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent; or,
- (d) To sample at reasonable times any discharge or pollutants.
- 5. The applicant shall at all times maintain in good working order and operate as efficiently as possible all treatment or control facilities or systems installed or used by him to achieve compliance with the terms and conditions of this Consent.
- 6. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property, or any exclusive privilages, nor does it authorise any injury to private property or any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State of local laws or regulations.
- 7. This Consent does not authorise or approve the construction of any physical structures or facilities or the undertaking of any work in any natural water course.
- 8. The specific effluent limitations and other pollution controls applicable to the discharge permitted herein are set forth below in specific conditions. Also set forth below are self-monitoring and reporting requirements. Unless otherwise specified, the applicant shall submit duplicate original copies of all reports to the Madhya Pradesh State Prevention and Control of Water Pollution Board. Except for data determined to be confidential, all such reports shall be available for public inspection at the office of the Madhya Pradesh State Prevention and Control of Water Pollution Board. Knowingly making any false statement on any such report may result in the imposition of criminal penalties as provided for in section 42 of the Act.

B. SPECIAL CONDITIONS:

- 1. Initial Effluent limitations.—During the period beginning on the effective date of his consent and lasting until discharge from outfalls shall be limited and monitored by the applicant as specified below:
 - (a) The following shall be limited and monitored by the applicant as specified:

EFFLUENT CHARACTERISITCS

DISCHARGE LIMITATION MONITORING REQUIREMENT

MAVERAGE

MAXIMUM Mg/1 Kgs/day Mg/1 Kgs/day

Frequency Type of Measure-Sample ment. *

* Dai y / Weekly / Monthly / Trimorthly + Grab / 24 Hour. Composite.

In addition to above, discharge shall be limited and monitored as speified below:

DISCHARGE LIMITATION EFFLUENT MONITORING CHARACTERISTICS REQUIREMENTS AVERAGE MAXIMUM Frequency type of Mg/1 Kgs/day Mg/1 Kgs/day *Masurement +Sample

*Doily / Week y / Monthly / Trimor hly + Gab / 24 hour. Composite.

For the purpose of this sub-section, the daily average discharge is the total discharge by weight during the calendar month divided by the number of days in a month the production or commercial facility was operating. For the purpose of this sub-section the daily maximum discharge means the total discharge by weight during any calendar day.

- (b) The pH shall not be less than 5.5 or greater than 9.0
- Final Effluent Limitation.—During the period beginning...... and lasting until the date of expiration of this Consent, discharge from the outfalls shall be limited and monitored by the applicant as specified below:
 - (a) The following shall be limited and monitored by the applicant as specified.

EFFLUENT DISCHARGE LIMITATION MONITORING CHARACTERISTICS REQUIREMENTS AVERAGE MAXIMUM Frequency Type of Mg/1 Kgs/day Mg/1 Kgs/day * Measurement + Sample

^{*} Daily/ Weekly/ Monthly/ Trimonthly

⁺ Grab/24 Hour. Composite.

Additionally, outfalls shall be monitored as follows:-

(i) Flow, Temperature and Total solids-one per month;

Grab samples, Maximum discharge Temperature above upsteam receiving water shall be in accordance with the standard of ISI at 40° F.

Uniform as per ISI 40°F.

The temperature shall be monitored once per month on each outfall. For the purposes of this sub-section, tht daily average discharge is the total discharge by weight during the calendar month divided by the number of days in the month that the production or commercial facility was operating. For the purpose of this sub-section, the daily maximum discharge, means the total discharge by weight during any calendar day.

- (b) The pH shall not be less than 5.5 or greater than 9.0 for outfalls. The samples are taken as monthly, grab samples.
- 3. Schedule of Compliance for Effluent Limitations.—The applicant shall achieve compliance with the effluent limitations specified above for discharge from outfalls in accordance with the following schedule.—
 - (i) Report of Progress;
 - (ii) Completion of final plans by;
 - (iii) Award of contract or other commitment of financing;
 - (iv) Commencement of construction by:
 - (v) Report of construction progress;
 - vi) Completion of construction by;
 - (vii) Attainment of operational level by;
- (b) The applicant shall submit to the Consent Issuing Authority the required report of progress or where a specific action is required in (a) above to be taken by a certain date, a written notice of compliance or non-compliance with each of the above scheduled dates, post marked on later than 14 days following each elapsed date. Each notice of non-compliance shall include the following information:—
 - (1) A short description of the non-compliance;
 - (2) A description of any action taken or praposed by the applicant to comply with the elapsed scheduled requirement without further delay;
 - (3) A description of any factors which tend to explain or mitigate the non-compliance; and

- (4) An estimate of the date, the applicant will comply with the elapsed schedule requirement and assessment of the possibility that the applicant will meet the next scheduled requirement in time.
- 4. Compilation of Monitoring Data.—(a) Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.
- (b) Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall confirm to such guilelines. Unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guideliness as per standard methods for the examination of Water and Waste Waters 18th Edition of the American Public Health Association, New York, U.S.A. shall be used.
- (c) The applicant shall take samples and measurement to meet the monthly requirements specified above at the location indicated below:

Point of sampling:

- (i) Outfalls of waste.
- (ii) 100 meter from point of confluence, down stream river or lake.
- 5. Recording of Monitoring activities and Results.—(a) The applicant shall make and maintain records of all information resulting from monitoring activities required by this Consent.
- (b) The applicant shall record for each measurement or samples taken pursuant to the requirements of this consent the following information:—
 - (1) the date, exact place and time of sampling;
 - (2) the dates on which analysis were performed;
 - (3) who performed the analysis;
 - (4) the analytical techniques or methods used; and
 - (5) the results of all required analysis.
- (c) If the applicant monitors any pollutant more frequently as is required by this Consent he shall include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.

- (d) The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities and results including all records of calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding from continuous monitoring instrumentation. This period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by the Central or State Board.
- 6. Reporting of Monitoring Results.—(a) Monitoring information required by this Consent shall be summerised and reported by submitting a Discharge Monitoring Report Form duly filled in and signed, to the Board's office at the following address:—

"Madhya Pradesh State Prevention and Control of Water Pollution Board,

87, Malviya Nagar,

Bhopal-3 (Pin No. 462 003)"

- (b) Each submitted Discharge Monitoring Report shall be signed as follows:—
 - (i) If submitted by Corporation—by a Principal Executive Officer of at least the level of Vice-President or his duly authorised representative, if such representative is responsible for the overall operation of the facility from which in discharge described in the discharge Monitoring Report originates.
 - (ii) If submitted by a partnership, by a general partner,
 - (iii) If submitted by a sole proprieter, by the proprietor,
 - (iv) If submitted by a Municipal, State or Central Government or other public enterprise, by a principal Executive Officer, ranking elected official, commanding officer, or other duly authorised employee.
- (c) All information submitted on the Discharge Monitoring Form shall be based upon measurements and sampling carried out during the three previous calendar months. The first Discharge Monitoring Report shall be submitted for a period ending 60 days from issuance. Thereafter, reporting periods shall end on the last date of each month. The applicant shall submit a Discharge Monitoring Report post marked no later than 28th day of the month following each completed reporting period.
- 7. Limitation of Discharge of Oil and Hazardous Substances in harmful quantities:—The applicant shall not discharge oil in quantities defined as harmful in regulations. In addition, the applicant shall not discharge hazardous substances into natural water course in quantities defined as harmful in regulations promulgated by the Board. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action-nor relieve the applicant from any responsibilities, liabilities or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

- 8. Limitation of Visible Floating Solids and Foam.—During the period beginning 'date of issuance' and lasting until the date of expiration of this Consent the applicant shall not discharge floating solids or visible foam.
- 9. Disposal of Collected Solids.—(a) Intake Water Treatment.—Solids, Sludges, dirt, silt or other pollutants separated from or resulting from treatment of intake or supply water period to use by the applicant shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water. Any live fish, shell fish or other animals collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to water body habitant.
- (b) Waste Water Treatment.—Solids, sludges, filter, backwash or other pollutant removed from or resulting from treatment or control of waste waters shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutants from such materials from entering natural water.
- 10. Non-compliance with Effluent Limitations.—(a) If for any reason the applicant does not comply with or will be unalle to comply with any daily maximum effluent limitations specified in this Consent, the applicant shall immediately notify the Consent issuing authority or his designee by telephone No. Bhopal 62143/or 62167 and provide the Consent Issuing Authority with the following information in writing within 5 days of such notification:—
 - (a) Cause of non-compliance;
 - (b) A description of the non-complying discharge including its impact upon the receiving waters;
 - (c) anticipated time the condition of non-compliance is expected to continue or if such condition has been corrected, the duration of period of non-compliance;
 - (d) Steps taken by the applicant to reduce and eliminate the noncomplying discharge; and
 - (e) Steps to be takenly the applicant to prevent recurrance of condition of non-compliance.
- (b) The applicant shall take all reasonable steps to minimise any adverse impact to natural waters resulting from non-compliance with any effluent limitation specified in his Consent including such accelerated or additional monitoring as necessary to determine the nature and impact of the non-complying discharge.
- (c) Nothing in this Consent shall be construed to relieve the applicant from civil or criminal penalties for non-compliance, whether or not such non-compliance is due to factors beyond its control such as equipment break-down, electric power failure, accident, or natural disaster.

11. Limitation of Batch Discharges:

SPECIAL CONDITIONS

- 12. Provision for Electric Power Failure.—The applicant shall either,
 - (a) no later than certify in writing to the consent issuing authority that the applicant has installed or provided for an alternatic electric power sources sufficient to operate all facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of the Consent; or
 - (b) no later than 30 days after the effective date of this Consent, certify in writing to the consent issuing authority that upon the reduction, loss, or failure of one or more of the primary sources of electric power to any facilities utilised by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of this consent, the applicant shall halt reduce or otherwise Control production and/or all discharges in order to maintain compliance with the terms and conditions of this Consent.
- 13. Prohibition of By-pass of Treatment Facilities.—The diversion of by pass of any discharge from facilities utilised by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of this Consent is prohibited except.—
 - (i) where unavoidable to prevent loss of life or severe property damage, or
 - (ii) where excessive storm drainage or runoff would damage any facilities necessary for compliance with the terms and conditions of this Consent. The applicant shall immediately notify the consent issuing authority in writing of each such diversion or bypass in accordance with the procedure specified above for reporting non-compliance.
- 14. Spill Prevention and Containment Plan.—Within 90 days of the effective date of this Consent the applicant shall prepare and submit to the consent issuing authority, a Spill Prevention, containment, and Countermeasure Plan for the facility covered by this Consent. Such plan shall include the following information and procedures relating to the prevention of spills and unauthorised discharges of oil and hazardous substances:—
 - (a) a description of a reporting system to be used to notify immediately persons responsible for management of the facility and appropriate State and Central authorities;
 - (b) a description of equipment or facilities (including overall facility) for the prevention, containment, or treatment of spills and unauthorised discharges;

- (c) a list of all oil and hazardous materials used, processed or stored at the facility including the normal quantity maintained on the premises for each listed material;
- (d) a brief description of any spills or unauthorised discharges which occurred during the 36 months period proceding the effective date of this Consent and subsequent measures taken by the applicant to prevent or reduce the possibility of further spills or unauthorised discharges; and
- (e) an implementation schedule for additional equipment or facilities which might be required for sub para (b) above but which are not yet operational.
- 15. Interim Effluent Requirements.—This Consent and the authorisation to discharge shall expire on midnight of the applicant shall not discharge after the date of expiration, the applican shall submit such information, forms and fees as required by the Board not later than 180 days prior to the above date of expiration.

By authority of Madhya Pradesh State Prevention and Control of Water

Pollution Board, Bhopal,

Member-Secretary.

FORM

(To be submitted in triplicate)

Application for Consent for discharge/continuation of discharge under section 25/26 of the Act.

(See rule 3)

THE PRINCE WE WILL STATE OF STATE .

Date

From:

To.

The Member-Secretary,

Madhya Pradesh State Prevention and Control of Water Pollution

Board,

BHOPAL.

Sir,

I/we apply for CONSENT under Section 25/Section 26 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)* to bring into use any new or altered outlet for the discharge of *sewage/trade

effluent* to being to make new discharge of *sewage/trade effluent or *continue to make discharge of sewage/trade effluent from land/premises owned by (1)
(a) Sewage/Sullage via drains/outfall sewers/treatment works.
(b) Trade effluent via drains/outfall sewers/treatment works.
(c) Solid wastes into (3).
(i) Stream/River OR
(ii) On land for irrigation bearing Survey No
(iii) Lake, Pond adjoining/at a distance of stream River OR
(iv) Directly on land for open percolation into sub-terranean strata of Survey No adjoining/at a distance of stream/River OR
(v) Tidal waters estureine waters known as OR
(vi) Sea along/off the shore shown as.
2. The annexure, appendices other particulars and plans in triplicate are attached herewith.
3. I/We further declare that the information furnished in the Annexure, appendices, and plans is correct to the best of my/our knowledge.
4. I/We hereby submit that in case of change either of the point or the quantity of discharge or its quality, a fresh application for CONSENT shall be made and until such CONSENT is granted no change shall be made.
5. I/we hereby agree to submit to the State Board an application for renewal of consent one month in advance of the date of expiry of the consented period for outlet/discharge, if to be continued thereafter.
6. I we undertake to furnish any other information within one month of its being called by the State Board.
Yours faithfully,
Accompaniments:— Singnature
*Note-Strike out entries not relevant. Name of the applicant

ANNEXURE TO FORM EXISTING NEW/ALTERED

Note.—Any applicant knowingly giving incorrect information or suppressing any information pertaining thereto shall be liable to be punished under the Act.

While filling this Annexure the applicant not concered with any of the item shall state "Not concerned" against the relevant one.—

ne i	tem shall state "Not concerned ag	ainst the relevant one.—
1.	Full name of applicant with	
а	ddress.	(Tel. No.) (Telegraphic address)
,	Full name of land/premises/- institute/factory/Industry/local body; with address.	(Tel. No.) Telegraphic address)
3.	Give revenue/city survey num- ber of land/premises for which	District
	the applicant is made stating District, Taluka and Village.	Town. Village. City Survey No./Mauza No. Area in Hectares. Revenue Survey No. Area in Hectares.
4.	State month and year in which the land/premises/institute/- factory/industry was actually put into commission or is pro- posed to be put into commi- sion or the month and year from which the local Body is functioning.	
5.	State the Civil/Military/- Defence/Industrial Estate etc. under whose administrative jurisdiction the applicant's land/premises is situated.	Collectorate. Corporation. Municipality. Village Panchayat. Cantonment. Defence Department.
		Port Trust

- lytte - Any appl

6.	(a) State	whether	the	land/-	YES/NO
	Premises/i	nstitute fa	ctory	1- 30	1721/1
	premises/ir	astitute/fac	ctory/		Se criment
	industry ha	as been de	eclare	d as	
	prohibited	areas.			World Inner

- (b) If yes, state the name of the authority and furnish a certified copy of the order under which the area has been declared as prohibited areas
- 7. Is the industry/factory for YES/NO which application is made closed on Sunday/Holiday.

Full year

I workered and would be to be

concerns to MC of sta Historian and soil

i. East name of applient

8. State working season per year for the industry/factory.

From	to
From	to
From	to to
From	to to the sent
	every year.

9. (a) No. of workers attending the factory :

Shift No. 1 Shift No. 2 Hrs. Hrs. Shift No. 2 General Shift (b) No. of workers residing in Hrs.

from widely the born Badwie

the letter lining and several the similar senting tobia

landingmine is displed.

- the premises.
- 10. (For local Bodies only)
 - (a) Present population:
 - (b) Population covered under manufacture regular sewerage facilities.
 - (c) Population covered by conservancy latrines.
 - (d) Population having septic tank/pit privy facilities.

11. (a) Give the list of new materials such as metals, alloys, Chemicals, oils, fuels, etc. used per month in Metric

Tons:—	
Metal and Alloy	Name/Weight
Chemicals Inorganic Dyes	Name/Weight
Organic Pesticides	minto teste asserting
Oils and Grease	Name/Weight
Fuels: (a) Wood	Name/Weight
(b) Coal	Name/Weight
(c) Oil	Name/Weight
(d) Gases	Name/Weight
(e) Other	Name/Weight
(b) Give the list of Name of Pro- ducts and by-products manu- factured per month in (MT)	S. No./Name of Products/Qnt. in Mt. per month.
(c) Give the list of possible intermediate products.	
12. State daily quantity of water in litres Utilised.	USES (Domestic/Industrial/Agriculture) Other)
13. (A) State the hourly maximum and daily maximum quantity of effluents arising from land/premises for which the application is made.	(In litres) (Hourly Maximum/Daily Maximum).
(a) Domestic	office of the control
(b) Industrial	American Insults on the control of
(c) Agricutural	affini Amerika oftenset (g)
(d) Other use	hose fire to see st. 12 VS
(e) Total quantity of effluent	CONTRACTOR OF THE PARTY AND THE

(B) State how measurements of rate and quantity are carried out:

EU COMMINION CONTRACTOR	
14. State whether storm water drains are kept separate from Industrial/Domestic effluents?	Yes/No
15. (a) Is domestic effluent allowed to get mixed in industrial effluent?	Yes/No
(b) If, yes, state ratio	Domestic/Industrial
16. (a) Describe if any treatment industrial of domestic effluent or one for combined effluent is made.	Yes/No
If yes, state the process of treatment in brief (separately).	Fueta: (at Wage)
(b) Is the quality of effluent emanating either without or after treatment approved by any authority?	Yes/No 1002 (0)
(c) If approved, furnish the authority (Two certified copies to be sent)	(a) (a) (b) (a) (b) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c
16. (a) Is any effluent from any shop/Shops toxic? so, volume of this effluent.	Sectioned per month in (2022)
17. Is there any provision for disposal of?	Already made Proposed to be made
(a) Domestic effluent in public under-ground sewer Yes/No	Yes/No
(b) Industrial effluent in public underground sewer. Yes/No	Yes/No
(c) Give the name public authority owning the sewer.	18 - (185 State 18c Hoorly maximum and dalle mealment
18. Is there any provision for disposal of?	Already made Proposed to be made
(a) Domestic effluent overland for Irrigation. Yes/No	Yes/No oitesma(I (e)
(a) Industrial effluent overland for Irrigation. Yes/No (c) Domestic effluent in the	Yes/No Introduction To Tax
undrground strata. Yes/No (d) State the area of land used	Yes/No Mar Edit (1)
for (a) above in hectares.	

(e) State the area of land used for (b) above in hectares.

19. Give the quantitative disposal of effluent in litres provided for the places mentioned below-

> Domestic Industrial Mixed

- (i) Stream River
- (ii) On lands for irrigation
- (iii) On land for percolation
- (iv) Lake/Pond
- (v) Tidal waters
- (vi) Estuarine water
- (vii) Open sea.
- 20. Is there any provision for equalizing or holding lagoons for tanks to store the effluents during unfavourable stream or tidal conditions.

Already made Proposed to made

Land Insequentles and I have

service memorial Strikes

From Adams of the Country

- (i) Domestic effluent
- (ii) Industrial effluent
- (iii) Combined effluent.
- 21. Is sufficient land available/ Yes/No can be made available? in case pumping effluent; on lands have combined.
- 22. (a) Give details of composition of Domestic/Industrial/ Combined effluents in respect of the following:-

Effluent be	fore treatme	ent	Eff	luent after	treatment
At.	At.	At.	At.	At.	At.
Max.	Min.	Ave.	Max.	Min.	Ave.
Dis.	Dis.	Dis.	Dis.	Dis.	Dis.
1	2	3	1	2	3

- (i) pH
- (ii) Colour-Units.
- (iii) Temperature *C
- (iv) Suspended solids
 - (a) Total mg/1

CASSIGNATION OF THE S

(b) Fixed mg/1 (c) Volatile mg/1. (v) Dissolved Solids (a) Total mg/1. (b) Fixed mg/1. (c) Volatile mg/1 (vi) Total Volatile solids mg/1. (vii) Ammoniacal Nitrogen (mg/1) N. (viii) Nitrates (mg/1.) N. (ix) Dissolved Oxygen mg/1. (x) B.O.D. 5 days 20°C mg/1. (xi) C.O.D. mg/1. (xii) Oil and Greases mg/1. (xiii) Chloride mg/1. (as CI) (xiv) Phosphates (P) mg/1. (xv) Phenolic compounds mg/1. (as Phenol). (xvi) Cyanides (as CN) mg/1. (xviii) Sulphates, as So4), mg/1. (xviii) Sulphates, as SO2), mg/1. (xix) Insecticides mg/1. (xx) Total residual chlorine (as Cl2), mg/1. (xxi) Flouride (as F), mg/1. (xxii) Boron (as B) mg/1. (xxiii) Arsenic (as As) mg/1. the transfer of the party of th Dameston State of the state of (xxiv) Barium (as Ba) mg/1. (xxv) percent Sodium (xxvi) Cadmium (as Cd) mg/1. (xxvii) Copper (as Cu) mg/1. (xxiii) Lead (as Pb) mg/1. (xxix) Chromium-(a) as Cr. (mg/1.). (b) Hexa-Valency (as Cr) mg/1. (xxx) Mercury (as Hg) mg/1. (xxxi) Nickel (as Ni) mg/1. (xxxii) Selenium (as Se) mg/1.

(xxxiii) Silver (as Ag) mg/1.

(xxxiv) Zinc (as Zn) mg/1. (xxxv) Any other metals, mg/1. (xxxvi) Calcium Chlroform Extracts. (xxxvii) Pesticides (mg/1.).

(xxxviii) Coliform organisms.

MPN per 100 ml (monthly average).

(xxxix) Bioassay for Toxic constituents. TL 50 (96 hours).

- Note.—(1) Furnish a copy of the analysis report of representative samples carried out by a competent laboratory.
 - (2) Methods of determination as approved by the Board will be followed for determination of above mentioned parameten.
- (b) Is the effluent toxic?

Yes/No

(c) State if the industrial effluent is having—

(i) Unpleasent smell Yes/No
(ii) Irritating and/or harmful Yes/No
(iii) Corrosive Yes/No
(iv) With colour Yes/No

- (d) Is there any sudden change of temperature exceeding 10° at any time.
- 23. (a) Are facilities available with the applicant for carrying out the following tests of the waste waters.

	Existing	Proposed
(i) Physical	Yes/No	Yes/No
(ii) Chemical	Yes/No	Yes/No
(iii) Bacteriological	Yes/No	Yes/No
(iv) Toxicological	Yes/No	Yes/No

- (b) If yes, details of equipment
- 24. Has the Land/premises, etc. for which application is made, open?

Highly polluting matter

Toxic Organic Inorganic Microbiological,

- (a) Cooling Tanks which (b) Mixing Tanks contain
- (c) Mixing Ponds
- (d) Rs-circulation wells

25.	State details for wastes	
	Seasonal waste. Spillage.	- CONTRACTOR OF BELLEVIOLE
	Rejected materials	
	must be lived in each	Signature
		Name and add. of the applicant on behalf
		Name and add. of the firm

Accompaniments.

Flow sheet of effluents.

EXPLANATORY NOTES FOR FILLING IN FORM AND THE ANNEXURE

I HOW I SHELL IN THE REAL OF THE PARTY.

The notes are given only for those items for which explanation is considered desirable. Other items are self explanatory.

Form

- (1) Here mention the name of the owner of the land/premises in other than the applicant industry or factory. If the land/premises belongs to the factory/industry, say self.
- (2) Here mention the date up to which the consent is sought for.
- (3) Here mention the local name of the river/stream tidal water sea as may be applicable Annexure to Form.—
 - "Outlet" means the arrangement for discharge of the effluent for which the consent is sought for.
 - "Discharge" means the effluent going out of the outlet.
 - "Existing" means that which is in operation at the time of applying for consent.
 - "New" means that which will be brought into operation in future.
 - "Altered" means that which has been modified due to change in quantity and/or quality of discharge, arrangement and or point of discharge etc.
 - Item 1: Here give the name of the person who is authorised by the Institution/Industry/Factory/Local Body etc., to transact their legal business.
 - Item 2: Here give the registered name of the Institution/Factory/ Industry etc., under which the business is carried out.

- Item 5: Here state the concerned institution such as Bureau of Public Enterprises, under whose administrative control the Factory/Industry etc., is set up.
- Item 6: Applicable to only those areas which are prohibit areas, such as the Ordnance factories, Mint, etc.
 - Item 13(B): State the method of measurement of hourly/daily maximum quantity of effluent i.e., by flow meters, Venturi meters V notch sump measurements, or approximately estimated etc.
 - Item 16(a): If the effluent is treated, give separately the method of treatment and flow diagram of the treatment process.
 - Item 16(b): Here mention 'Yes' if any other authority such as the local body, or Government department has already approved the discharge of effluent either with or without treatment, at the time of establishment of the factory/industry.
 - Item 19: Here give the quantity of effluent of different types such as domestic, industrial or mixed etc., proposed to be or is let into the stream/river, lands, sea etc., as may be applicable.
 - Item 22(a): Analysis to be furnished shall cover as many Parameters as are expected to be found, in the effluent. If some of the parameters are not expected to be found, say not applicable. If some other parameters than those listed under the items are expected, the same may be mentioned at the end. The analysis shall be separately furnished for domestic/industrial and combined effluents.
 - 22(b) : Here toxicity means that which is established by bio-eassay studies on fish, as per procedure given in the Standards methods.
- Item 24: This item is meant to cover highly polluting substances which do not ordinarily find way in the effluents, but are required to be handled in the premises, and which may, by accident, join the effluent in large quantities.
 - By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, G. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

सहकारिता विभाग

भोपाल, विनांक २६ दिसम्बर १६७४.

क. ४-३१-७३-१-पन्द्रह.—शुद्धिपल.—"मध्यप्रदेश राजपत्न" दिनांक ४ दिसम्बर १६७४, भाग ४ (ग) में इस विभाग की अधिसूचना के ४-३१-७३-१-पन्द्रह, द्वारा संपरीक्षा (आडिट) फीस के मान में जो संशोधित अनुसूची प्रकाशित हुई है, उसमें निम्नानुसार शृद्धिकृत संपरीक्षा (आडिट) फीस के मान कालम (३) में दर्शाये अनुसार पढ़े जायं :--

राजपत्न दिनांक ४-१२-७५ के पुष्ठ, ग्रन्सूची के भाग सोसायटी का वर्ग एवं पंक्तियां जिनमें मुद्धिकरण किया जाना है

अगृद्ध मुद्रित संपरीक्षा (आडिट) गृद्ध संपरीक्षा (आडिट) फीस के मान जो प्रकाशित हुये हैं फीस के मान

पड़े जायं.

(9)

(2)

(3)

पुष्ठ क्रमांक ६३१ चार विपणन समितियां की पंक्तियां १४ एवं

किन्तु प्राथमिक विषणन एवं प्रसंस्करण सोसायटी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संपरीक्षा फीस ऋमशः ह. ५,०००) ह. ४०,०००) स्रोर ह. २४,००० प्रभारित की जावेगी.

किन्त प्राथमिक विपणन एवं प्रसंस्करण सोसायटी म. प्र. राज्य सह. विपणन संघ ग्रीर म. प्र. राज्य ग्रादिवासी सह. विकास संघ पर ग्रधिकतम संपरीक्षा फीस ऋमशः €. 4,000) €. 40,000 ग्रीर रु. २४,००० प्रभा-रित की जावेगी.

सोसायटियां का भाग (४) की पंत्रितयां क. द प्राथमिक साख सोसा. जिसमें सेवा सोसायटियां वृहत्ताकार सोसायटियां फसल. ऋण सोसायटियां, बीज संघ, बीज भंडार, ग्राम विकास संभायें ग्रीर वह प्रयोग सोसायटियां जो साख संबंधी कारोबार करती हो, सम्मि-लित है.

पुष्ठ कमांक ६३४ सात-संसाधन ५०,००० रुपये से ग्रिधिक कार्य-शील पंजी पर संपरीक्षा फीस की दर १० पैसे प्रतिशत.

५०,००० रुपये से ग्रधिक कार्यशील पुंजी संपरीक्षा फीस की दर १४ पैसे प्रतिशत.

पृष्ठ क. ५३५ सात-संसाधन सोसाय-टियां का भाग (६) का (ख) फी पंक्ति १ वैतनिक कर्मचारियों की सोसायटियां मितव्यय सोसायटियां एवं ग्रन्थ गैर कृषक साख सोसाय-टियां.

कार्यशील पंजी के पहले रुपये कार्यशील पंजी के पहले ४००,००० रुपये पर. इ. ४०,००० रुपये पर.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रा. ला. गार्गव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक २६ दिसम्बर १९७४.

क. ४-३९-७३-९-पन्द्रह.-भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, इस विभाग की ग्रधिसूचना क. ५-३१-७३-१-पन्द्रह, दिनांक २६ दिसम्बर १६७५ का ग्रंग्रेजी ग्रन्वाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा ग्रादेशान्सार, रा. ला. गार्गव, उपसचिव.

Bhopal, the 26th December 1975.

No. 5-31-73-1-XV -- Corrigendum -- In the revised schedule of Audit fee published in part 4 (G) of "Madhya Pradesh Gazette" dated 5th December, 1975 vide this Department Notification No. 5-31-73-I-XV, the correct scales of Audit fee should be read as shown in Column No. (3).

In Gazette dated 5-12-75 page No. schedule classifications of socs. and lines in which corrections are to be made

Incorrect scales of Audit Correct scales of Audi* Fee which are published Fee which are to be read

(1)

(2)

(3)

Page 838 4-Marketing Societies Lines 17 and 18

Excepting Primary marketing cum Processing societies, M. P. State Coop. Marketing Federation and Madhya Pradesh State Coop. Tribal Development Federation shall be Rs. 5,000, Rs. 50,000 and Rs. 25,000 respectively.

Excepting Primary Marketing cum Processing Madhya Societies, Pradesh State Coop. Marketing Federation and Madhya Pradesh State Coop. Tribal Development Federation the maximum shall be Rs. 5,000 50,000 Rs. 25,000 respectively.

Page 841 VII Resource Societies part (5) line 8-Primary credit Societies including service societies, large size credit societies, Crop loan societies, seed unions, seed Vikas stores. Gram Sabhas and Multidoing purpose credit business etc.

Above Rs. 50,000 of working capital at 10 paise percent

Above Rs. 50,000 of working capital at 15 paise percent.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, R. L. GARGAVA, Dy. Sec.

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2001

क्रमांक 466/उप-सचिव/आवास/पर्यावरण/2001.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

- (1) (i)इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2001 है.
 - (ii) यह नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.
- (2) इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट, समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियों को छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थे, एतद्द्वारा अब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरिस्त या संशोधित न कर दी जाये. उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुये समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किये जाये.
- (3) अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाही किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम प्रारूप विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुये छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त रहेगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक	विधियों के नाम
(1)	(2)
1.	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) मध्यप्रदेश नियम, 1975.
2.	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (सम्मति) मध्यप्रदेश नियम, 1975.
3.	मध्यप्रदेश जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अपील नियम, 1976
4.	मध्यप्रदेश स्टेट प्रिव्हेन्सन एण्ड कंट्रोल आफ पॉलुशन बोर्ड एण्ड इट्स कमीटिज (मीटिंग) रूल्स, 1975.
5.	वायु (प्रदुषण निवारण तथा नियंत्रण) मध्यप्रदेश नियम, 1983.

Raipur, the 6th September 2001

No. 466/DS/H & E/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (No. 28 of 2000) the State Government, hereby, makes the following orders, namely:—

ORDER

- 1. (i) This order may be called the Adaptation of Laws Order, 2001.
 - (ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.
- 2. The laws as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pracesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that in all the law's for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the words "Chhattisgarh" shall be substituted.
- 3. Anything done or any action taken including any appointment, notification, notice, order, rule, form, regulation, certificate or license in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the schedule shall continue to be inforce in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Law's (2)
1.	Water (Prevention and Control of Pollution) Madhya Pradesh Rules, 1975.
2.	Water (Prevention and Control of Pollution) (Consent) Madhya Pradesh Rules, 1975.
3.	M. P. Water (Prevention & Control of Pollution) Appeal Rules, 1976.
4.	Madhya Pradesh State Prevention Control of Water Pollution Board and it Committees (Meeting Rules, 1975.
5.	Air (Prevention and Control of Pollution) Madhya Pradesh Rules, 1983.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक ढाँड, सचिव.

लोक निर्माण, आवास एवं पर्यावरण, नगरीय, प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2001

क्रमांक 4330/स/2696/लो.नि.वि./2001.—टोल टेक्स एक्ट, 1851 (क्रमांक 8 सन् 1851) जैसा कि वह छत्तीसगढ़ राज्य को लागू है की धारा 2 में सहपठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा ''बिलासपुर जिले के उसलापुर दैजा मार्ग के किमी-23/4 पर नवनिर्मित धोंधा नदी पुल'' पर पथकर अधिरोपित करने हेतु इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23/4/2000/जी-19 भोपाल दिनांक 27-1-2000 में संलग्न द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से पथकर उदग्रहित करता है और यह भी घोषित करता है कि इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 31/19/84/जी/19/720 दिनांक 12-6-85 की तृतीय सूची में एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 23-2/94/जी-19, दिनांक 9-5-94 में विनिर्दिष्ट वाहनों को उक्त पथकर की देनगी से छूट रहेगी.

. यह आदेश इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राज्य के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

Raipur, the 20th September 2001

No. 4330/S/2696/PWD/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 2 read with Section 4 of the Tolls Act, 1851 (VIII of 1851) in its application to the State of Chhattisgarh. The State Government hereby levies Toll Taxes on newly constructed "GHONGA RIVER BRIDGE situated in Km. 23/4 of Uslapur Daija Road in Bilaspur district," at the rates specified in the second schedule appended to this department's Notification No. F-23/4/2000/G-19, Bhopal, dated 27-1-2000 and declares that the vehicles specified in the third schedule to this department's Notification No. F-31/19/84/19/720, dated 12-6-85 and Notification No. F-23-2-94/G/19, dated 9-5-94 shall be exempted from the payment of the said tolls.

This order will be inforced with effect from the date of its publication of the notification in the Chhattisgarh Gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, , विवेक ढाँड, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2001

क्रमांक डो/4407/2199/21-व (छ.ग.).—राज्य शासन अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार अम्बिकापुर जिला सरगुजा के लिए विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 4 (1) के अनुसार मोहम्मद परवेज खान, अधिवक्ता अंबिकापुर सरगुजा को अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिए होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-23-7/97/25/4 दिनांक 27-3-97 के अनुसार राज्य के लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजकों को विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17 (ई) 60/95/21-ब (दो) दिनांक 6-7-95 के अनुरूप ही देय होगी.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64 मुख्य शीर्ष 2225 अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण 01 अनु. जाति अन्य प्रभार के अंतर्गत विकलनीय होगा.

देयकों का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा.

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2001

क्रमांक डी-2262/21-ब/छ.ग.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (क्रमांक 49 सन् 1988) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदंत शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए और माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार, एतद्द्वारा श्री महेन्द्रपाल सिंघल, सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर को उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के अधीन दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्वेषण किए गए मामलों के विचारण के लिए नीचे विनिर्दिष्ट राजस्व जिलों एवं सिविल जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त करती है, इसका मुख्यालय रायपर होगा :—

 क्रमांक	जिले का नाम	सिविल जिला	राजस्व जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रायपुर	रायपुर	
2.	दुर्ग	दुर्ग	
3.	राजनांदगांव	राजनांदगांव	
4.	बिलासपुर	बिलासपुर	
5.	अंबिफापुर (सरगुजा)	सरगुजा स्थान अंबिकापुर.	
6.	बस्तर (जगदलपुर)	बस्तर स्थान जगदलपुर.	
7.	कांकेर		कांकेर
8.	दंतेवाड़ा .	_	दंतेवाड़ा
9.	कवर्धा		कवर्धा
10.	महास मु न्द		महासमुन्द

(1)	(2)	(3)	(4)
11.	कोरबा		कोरबा
12.	कोरिया		कोरिया
13.	धमतरी		धमतरी
14.	जांजगीर		जांजगीर
15.	रायगढ़ .	रायगढ़	
16.	जशपुर		जशपुर

Raipur, the 19th September 2001

No. D-2262/21-B/C.G.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) in consultation with Hon'ble High Court of Chhattisgarh, the State Government hereby appoints Shri Mahendrapal Singhal, VIIth Additional Sessions Judge, Raipur as Special Judge with the headquarters at Raipur for the area comprising of the Revenue District and Civil District both specified below to try the cases in regards to the offences specified in column (a) and (b) of Sub-section (1) of Section 3 of the said Act investigated under Delhi Special Police Establishment Act, 1946 by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation.

S. No.	Name of the District	Civil District	Revenue District
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Raipur	Raipur	
2.	Durg	Durg	
3.	Rajnandgaon	Rajnandgaon	
4.	Bilaspur	Bilaspur	
5.	Ambikapur (Sarguja)	Sarguja at Ambikapur.	
6.	Bastar (Jagdalpur)	Bastar at Jagdalpur.	
7.	Kanker		Kanker
8.	Dantewada		Dantewada
9.	Kawardha		Kawardha
10.	Mahasamund		Mahasamund
11.	Korba		Korba
12.	Koria		Koria
13.	Dhamtari	•	Dhamtari
14.	Janjgir	•	Janjgir
15.	Raigarh	Raigarh	
16.	Jashpur	-	Jashpur

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, टी. सी. यदु, अतिरिक्त सचिव.

प्रारूप/From

(तीन प्रतिभी में प्रस्तृत विका कार्य) (To be submitted in triplicate)

अल (प्रदूषण निवारण सथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 वा 26 के अधीन निस्तारण के लिए किसो शोधन/क्वयन पद्धति के किसी उद्योग/संक्रिया/प्रक्रिया की स्थापना करने या उसी स्थापना हेतु उपाय करने के लिए सम्मति हेतु आवेदन का प्रारूप 1

Application for Consent for establishing or taking any steps for establishment of Industry/operation/Process/ or any treatment/disposal systyem for discharge, continuation of discharge under section 25 or section 26 of the Water (Prevention & Control of Pollition) Act, 1974.

	(See Rule 3)		
dion's		entrer :	
From:		Date:	
प्रति,			
	'सदस्य सन्तित्त,		
	लसीसगढ प्रवीवरण संरक्षण गोहला.		
Top			
	Member Secretary		
	Chhattisgarh Environment Conser-	vation Board.	
महोदय,			
	N/64	के स्वासित्वाधीय १	र्गि/
परिसर में पर	त/उद्योग निस्नाव के निस्सारण के लिये नये या परिवर्तित	विकास को उपयोग में लाने के लिए मल/उ	win.
	विसर्जन वारी उधाने हेतु किसी अधोग/संक्रिया/प्रक्रिय		
	ने हेतु उपाय करने हेतु जल (प्रदूषण कियारण तथा नियंत्र		पास
25 वा भाग	26 के अधीन सम्मति/सम्मति के नवीनीकरण के लिए	. एतद् द्वारा आभेदन करता हुँ/ ऋतो हैं।	
Sir.			
312	We here- by apply for Consent/ Renewal	of consent under section 25 or s	ec-

tion 26 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No.6 of 1974) for

rred char	menth ge of	g or taking any step for establishment of dispostal system system to bring in-to sewage/trade effluent/to continue to di ses-owned by	use any nev	viallere	r counce to	iii diise
		क्योरे विम्नानुसार है :- relevant details are us below '-				
1-		Name of applicant				
2		क्ष की सन्देशिका onality of the applicant				
3.	300	os of the applicant				
	10	nafra Individual				
	tt.	eather (ularazit) maran Proprietory concern	AUSTRAL T	WIII		
	N.	भागीदारी धर्म आहे प्रीवस्ट्रीकृत या आधिस्ट्रीकृत हो	-144414		-1101111	
	80	Parmership firm (whether registered or unregistered)				
	14. (4)	संस्था कुटुम्ब समुन्धान Joint family concern			- 100	
	€.	क्राइवेट निमिटेड भेषनी Private Limited Company				
	d. 1	पश्चिम शिविटेड अंध्यनी Public Limited Company	100H(-0.0-H)			
	(6). (1)	सरकारी कथनी राज्य सरकार	111111111111111111111111111111111111111			3100 a C-141
	:32 :30	केन्द्रीय सएकार संघ राज्य थेत				

	the Disti	very No. Khasra No. Location as per Revenue Record, Village Firka, Tehsil, ict, Police Station or SHO, Jurisdiction e First- Class Magistrate)	
67	प्रवर्तन	के स्थारि	
	967	सकर्म के प्रवर्तन को प्रस्ताबित अनुसानित तारावा	
	587	उत्पादन की प्रस्तावित तारीख/ उत्पादन	
	25/000	की तारीख (यदि पूर्व से स्थापित है।)	
	11111111111	ils of Commissioning etc.	
	n;	Approximate date of the Proposed commissioning of work.	
	150	Expected date of Production/date of production (if existing)	
R		वत सिन्ये जाने नाले संभानित कर्मजारियों ल संख्या	
	35740	Number of employees expected employed.	
8	754	आंद्रोणिक विकास विनिषय अधिनियम, 1951 के उपलंघों के अधीन अधिप्राप्त अनुद्राणि के यदि कोई है, ज्योरे I Details of licence, if any obtained	
		under the provisions of Industrial Develop ment Regulation Act, 1951	
		उद्योग का कुल विनियोग एवं श्रेणी लघु/ मध्यम/वृहद् । (ग्राम केपीटल इन्वेस्टमेंट)	
		Total capital investment and category (SSI/Medium/Large). (Gross capital investment)	
9	777 A 757	प को हस्तालास करने के लिए	
	The second second	त प्यक्ति का नाम (अक्ति स्वर्णकत्व समुख्यान	
		विर अन्य देशों में आधिकृत किए जाने की	
		। मसन् भी आनी चारीए ()	
		of the person authorised to sign orm (The original authorisation	-1411-1411 1111100 701100 10000

		opt in the case of individual?			
	1600	orietory concern to be enclosed)			
10.	5. (10).5	प्रतिमाह प्रमुक्त समस्त कच्ची सामग्री और रक्षामनी की सूची संलग्ध करें।			-
	60-	कारसामा/अधोग भी अनुवन्ति वार्षिक			
	-	श्रमता एवं उत्पाद का मानुवान्य नाव क			
	(6)	विभाग प्रक्रिया का विस्तार से			
	21	Attach the list of all raw materials and	************		
	771	chemicals used per month			
	bi	Licenced annual capacity of the		111 111.9	
	N-JOS	Factory/ Industry and name of	***************************************		
		Product.			
	(6)	Manufacturing Process in details			
20	tatawa		LEATHER STATE		
11.	0/39	ह दिन उपयोग में लाये भवे पानी की माता	-0.000		
		लिटर में और उसका सीत पृथक-पृथक			
		ि(परेल्/ओशोगक/प्रक्रिया/बायलर/			
		HR/OHRM)			
		e daily quantity of water in kilolities its source (domestic/industrial/			
	100	City Service Management of Management of the Company of the Compan			
	भरेल भरेल	ess/ Boiler/cooling/others)			
		ifms:		HILL W	11000
	्रकाप प्रक्रिक	NI AVET	147444111111111111111111111111111111111		
	unne		With Ministry		722-712-71
	शीवर		HI THERE		
	Second			()(11000
	- 1000	nestic			
	52 1	strial		///	
	B4583		311 Maria 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14		778
	Coo				
	Othe				
	18555		C 112000	111111111111111111111111111111111111111	1111/1-1
12.	30	दैनिक निस्तारण की अधिकतम माता तथा		-114411	-
		उसके व्ययन की रीति (मल नाली, नालियाँ,			
		नदी) नताये ।			

		विस्तारण संबंधी विक्लेपण स्थितं भी सलाव	
		की । विस्तारण की जिस्सा की कुल मता	
		कित्तोगीटर में अधन की ग्रीत वर्णित हो	
		1. परेल <u>.</u>	
		2. अरेशोगिक	
). SEE	
	cr_	वर्तमान में निस्सारित निस्माम की ना/	
		प्रस्थातिक किये जाने वाले निस्ताव की गुणवत्ता ।	
	π	इस समय वटा बागोटर काने संबंधी व्यवस्था केसी है, या केसी व्यवस्था का	
		assur g (
12.9		State the daily maximum quantity of	
		efflicits & mode effluents and mode	
		of dispostal (sewer or drains or river). Also attach analysis report of the	
		effluents. Type of effluent quantity	111101-1 111 112-11 111 11111-1-1
		in kiloliters mode of disposal.	
		L. Dome*stic	
		ir. Industrial	
		iii. Others	
(A)(H)	1	मुह बताचे कि क्या अलके पास औद्योगिक,	
		धोल या संयुक्त निस्त्राय के लिये कोई शोधन	
		संबंध है। (सं/बहाँ/प्रसाधित)	
	2	यदि हो प्रस्ताचित तो विस्तृत शोधन प्रक्रिया	
		वर ब्राइंग, डिबाइन के साथ विवरण संलग्न करें,	
		एवं भोधन संबंध की लागत बतानें ।	
	3.	विस्ताण शोधित विस्ताय की प्रवासिटी मानगी	PARALLE III IIIIIIII III IIIIIIIII
		की मुलता में क्या है, इस बारे में जानकारी	
		संस्था करें।	
	ţ.	State wheather you have any treatme	nt
		plant for industrals, domestic or	
		combined effluents, (Yes/No/Propose	od)
	2	If Yes, Proposed attach a discription	
		of the process of treatment in details	

- along with drawing & design and give the investment on (E.T.P.)
- Attach information on the quality of treated effluent vis-a-vis the standards;
- अभिया या अपिष्ट सोचन के रानजीत तोस.
 अपिष्ट संबंधी अपेरे ।

State details of solid wastes generated form process and during waste treatment.

विकास माजा/सुलवत्ता संप्रध्य की पद्धति रूपम की पद्धति Description Quantity/Quality Method of collection Method of disposal

15. मैं /हम बह पोषणा करता है/करते हैं कि ऊपर दी आनकारी मेरे /हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है। I/We further declare that the information furnished above is correct to the bost of my/our knowledge.

- 16 में / हम एतद् द्वारा यह निवेदन करता हूं /करते है कि या तो निस्तारण चिंदु या निस्तारण की बाता या असकी क्वालिटी में परिवर्तन होने की दशा में सम्मति के लिए फिर से नया आवेदन किया आयेगा और जब तक कीई परिवर्तन नहीं किया आवेगा ।
 - I/We hereby exsubinit that in case of change either of the point of the discharge or quantity of discharge or its quality, a fresh application for consent shall be made and until such consent if granted no change shall be made.
- 17. में /हम एक्ट् द्वारा इस बात के लिए भी सहमति प्रकट करता हूं/ करते हैं कि विकास निस्तारण भी सम्मति कालावधि के अवसान के पश्चात् पदि चालू रखा बाता हो, तो सम्मति के अवसान की तारीख से एवा मास पूर्व सम्मति के नवीनीकरण के लिए राज्य बोर्ड को आवेदन कर्मगा/करेंगे।

I/We hereby agree to submit to the State Borad an application for renewal of consent four month advance of the date of expiry of the consented period for out let/discharge to be continued thereafter.

From-1

(विषम 13 देखिये) (See Rule 13)

(दो प्रतिको में प्रस्तुत किया जान)
To be submitted in Duplicate
पाप (प्रयुक्त निवास्त तथा निवंदल) अधिनिवस 1981 की धारा 21 के अधीन
प्रसार्वन/समार्थन-पान् सक्तो के लिए सम्पति हेन् आपेटन

APPLICATION FOR CONSENT FOR EMISSION/CONTINUATION OF EMISSION UNDER SECTION 21 OF THE AIR (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1981

From		Date:
	-	
uffr,		
	सदस्य मच्चित्र,	
	क्रभोसपद पर्यावरण संरक्षण मंद्रल	
To.		
	Member Secretary.	
	Chhattisgarh Environment Conserva	tion Board
महोदय.		
	#/em	के स्वामित्य उद्योग उत्पातंत्र के निवास/
उत्सर्जन	के नचे निकास बनावा प्रारंभ करने /उस्सर्जन कर निकास	चाल् स्थने के लिए विक्री वर्णन/ परिवर्तित
विकास व	हा उपयोग करने हेनु वायु (अनुपण निवारण नंधा निवेशक)	अधिनिषय १९८१ (१७४१ का सं. १४) की पास
21 de 19	पान सम्पति/सम्पति के नवीनीकाण हेतु एतर् द्वारा आकेदन	काता है/ करते हैं। मुसंगत ब्योरे तीचे दिये तथे
अभुसार	The state of the s	

Sir,	
Air (a ne emi	I/we hereby apply for Consent/Renewal of consent under Section 21 of the Prevention and Control of Poliution) Act 1981 (No. 14 of 1981) to bring in to use waltered "Stack for the discharge of emission/to brgin to make new discharge of ssion /to continue to discharge emission " from Stack in Industry owned
by	The relevant details
are	pelow.
T_{i+1}	आवेदकं का पूरा नाम, पदनाम तथा पता गुर्व दूरमाथ क्रमांक :
	Full name of applicant, designation with address and Telephone No.
111112	
-000	
+++++	
2.	पूर्ण कालिक विदेशकों के नाम पते वधा दुरभाष क्रयांक :
	Name of full time Directors with address and Telephone No

XII	
X.	कासमानि का पूरा पता: (भूखंड/परिसर के नाम महिल) एवं दूरभाप क्रमांक :
	Full factory address (with name of plot/premises) and Telephone No.
5111111	
Time	
336004	
4	कारखाना प्रारंभ करने की तारीख था कारखाना प्रारंभ करने की प्रस्तावित नारीख-
	Date of commissioning of factory or proposed date of commissioning of
	factory
aan	
THE	
555444	
	The state of the s

मिस्स गया पूंजीगत विनिधन (लाख रूपचे में)
 Capital investment made (Rs. in Lakhs)

- Total No of Employees
- का) अवस्थानी की अनुसार वाणिक सम्मात:
 - A) Licensed Annual Capacity of the factory
 - रह) विक्रियोण क्रिक्स अनुवाम अंतरह जॉर प्राथण (यसाट) क्रेजिय वर सम्बद्धी विवर्ध की विक्री के माथ मेरिक्स विक्रम संस्था की ।
 - Attach a brief description of the manufacturing process along with a flow diagram and the plot plan.
- अस्तर्थांने के प्रतिरक्षित आपनार, तीरलें, परित्यों की संख्या, उनकी समता, राइच/प्रयुक्त इंकन के परिवाण महित और निर्मानियों से उत्पानियों का मध्यन की जिये ।
 State the number of boilers, heaters furnaces installed in the factory along

with their capacity, type/quantity of fuel used, and emission from the Stacks

s. Stack's details

- कः विमानगा की संस्थाः
- Number of Stacks:
- त्वः वापुर्वतक इत्यरः/ आई.डी.पेलः :
- b. Natural draft/ID Fan/FD/FD Fan;
- ग. विमनी के निर्माण की सामग्री :
- c. Material of construction of Stack :
- पः चिमनो की उद्यक्षः
- d. Height of Stack
- भूमि सामात के अपर (मोटते) में :
- i: Above ground level (Meters)
- तं. अजनाम वे अक्ष के अपने (मोरसे में):
- ii. Above factory level room (Meters)
- अपर पद 9 में सुशीवाह प्रत्येक विक्रियों के संबंध में वायु प्रत्यण नियंत्रण उपस्करण के बारे में अनवारी संलक्ष करें।

Attach information on air pollution Control equipment in respect of each of the Stacks listed in item 9 above.

- कः अपन्तर का नाम
- Name of equipment :
- छ। विकास सा प्रसातित और बिस्स प्रदेशक से प्रदेशक है और प्रतिस्थापन की सार्रास्त्र है
- Existing or proposed and for which Pollutant and date of installation.
- म विविधानस इस्म गाउंटीकृत साम दक्षाना :
- Reduction efficiency guranteed by the manufacturer.
- ञ । चारम्/संमाधित उत्सर्भन का परिमाप और क्यानिती :
- d. Quantity & Quality of current/expected emission
- क्या प्रयोग में साधारण प्राणियों (जिल्लों) में या सीसीम धेरे बतारे विवया जाता है।
- Whether the industry works in general shift or 2 shifts or round the clock
- च व्या पारिटरिंग विद्या भा रहा है, या किया जानर प्रस्तावित है
- f Whether monitoring is being done or Proposed.
- मानक के संवंध में उसाजीयों के पानव के बारे में अनुपाली सेन्छ्य परें।
 Attach information on compliance with respect to the Standard.
- 12. में / हम पोपणा करता है/ करते हैं कि ऊपा हो जानकारी मेरे / हमारे मजीनम आन के अनुसार सहो है । Uwe declare that the information furnished above is correct to the best of my/ our knowledge.
- में /हम विचंदन करता हैं / करते हैं कि उस्तेजंब के चिंदू का उसकी क्वालिटी में परिचर्तन होने की दशा में सम्मति के लिए एक असंबंदन करतेगा / करी और जब नक ऐसे सम्मति नहीं दी आसी है, तब तक कोई उस्तेजन नहीं किया आधेगा।
 - I/we hereby submit that in case of change either of the point of the emission or its quality, a fresh application for consent shall be made until such consent is granted no emissions shall be made.
- 14. में /हम महमत होता है /होते हैं कि मैं /हम राज्य बाई को विमनों के उलाजन के लिए सम्मति महलावधि समाप्त होने की आरीख से बार मास पूर्व सम्मति के उबीनीकाण का आयंदन प्रस्तुत कर्तना / करेंगे कि उसे साफ्ट्रणान जारी एका जाना है। I/W∈ hereby agree to submit the State Board an application for renewal of
 - four months in advance of the date of expiry of the consented period for Stack emission if to be continued thereafter.
- 15 में हम राज्य बोर्ड इस मांगी यह कोई आनकारी उसके मांगे जाने के एक मार के भीतर देशा/देश । I /We undertake to furnish any information within one month of its being called by the State Board.

में/तम छत्तीमगढ पर्यायस्य संस्	ाग मोहल के प्रमु में		ere come
(सपर्थे) की, जो अधि	नेपण की भारा 2 के अधीन र	देव है -
नगद समीद क्र	विक हापर	I	
सारीख	संसप्य करता है/करते हैं।		
I/We enclose here with	r cash Receipt No	***************************************	an Dille
Bank Draft No	Dated	for Rs	
(Rupees	-(((((()))-((-(((()))))))	HOWELLING WATER	(
in favour of Chhtisgarh E	invironment Conservtio	n Board as has been p	ayable

भवादीय Yours Faithfully

आवेदक के इस्लाक्षर Signature of the Applicant

ACCOMPANIMENTS:-

- Site plan, lay out & topo sheet.
- A copy of Project Report.
- Name of local body/Panchayat,
- List of industries, villages, river & lake and other salient feature & distances from site within a radius of 5/10 km. in case of medium/large industry.

व्यक्षां :

Note:

- कोई भी आवेदक जो जानपुत्रकर गलत जानकारी देता है या उससे संबंधित कोई जानकारी विभाग है, अधिनियम के अधीन दंबनीय होता ।
 - Any applicant knowingly giving incorrect information or suppress ing any information pertaining there to shall Liable to be punished under the Act.
- "को सुसंगत गति", असे बार दीजिये।
 "Strikeout which is not relevant"

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगद/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांच 382]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक ७ अक्टूबर २०१६-- आख्विन १५, शक १९३८

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रागपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-20/2016/32. — जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्र 6 सन् 1974) की धारा 64 द्वारा प्रवत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से परामर्श पश्चात् राज्य सरकार, एतद्द्वारा, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) (सम्मति) छत्तीसगढ़ नियम, 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उदर! निथमों में,-

1. नियम 4 के उप-नियम (पांच) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(वांच) आवेदन प्रारूप के साथ निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार सम्मति फीस समयक् रूप से दी जायेगी, अर्थात् :-

अनुसूची

स. क . (1)	निम्नलिखित का विनिधान करने वाले उद्योग (2)	रुपये (3)
1.	रुपये 5000 करोड़ से अधिक	35,00,000
2.	रुपये 2500 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 5000 करोड़ से कम	30,00,000
3.	रुपये 1000 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 2500 करोड़ से कम	25,00,000

(1)	(2)	(3)
4.	रुपये 500 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 1000 करोड़ से कम	12,50,000
5.	रुपये 200 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 500 करोड़ से कम	6,25,000
6.	रुपये 100 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 200 करोड़ से कम	3,75,000
7.	रुपये 50 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 100 करोड़ से कम	2,50,000
8.	रुपये 25 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 50 करोड़ से कम	2,00,006
9.	रुपये 10 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 25 करोड़ से कम	1,75,000
0.	रुपये 05 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 10 करोड़ से कम	1,50,000
I.	रुपये 03 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 05 करोड़ से कम	75,000
2.	रुपये 02 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 03 करोड़ से कम	7,500
3.	रुपये 01 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 02 करोड़ से कम	5,000
4.	रुपये । करोड़ तक	2,500

टीप - उपरोक्त सम्मति फीस में प्रथम वर्ष के लिए सम्मति नवीनीकरण फीस सम्मिलित हैं."

2. नियम 5 के उप-नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(5) (एक) आवेदक, निम्नितिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार मंडल की वार्षिक "सम्मित नवीनीकरण फीस" (प्रथम वर्ष की फीस को छोड़कर) का संदाय करेगा, अर्थात् :-

अनुसूची

स.क्र.	निम्नलिखित का विनिधान करने वाले उद्योग	रुपये
(1)	(2)	(3)
1.	रुपये 5000 करोड़ से अधिक	15,00,000
2.	रुपये 2500 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 5000 करोड़ से कम	10,00,000
3.	रुपये 1000 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 2500 करोड़ से कम	6,50,000
4.	रुपये 500 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 1000 करोड़ से कम	3,75,000
5.	रुपये 200 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 500 करोड़ से कम	2,50,000
6.	रुपये 100 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 200 करोड़ से कम	1,75,000
7.	रुपये 50 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 100 करोड़ से कम	1,25,000

(1)	(2)	(3)
8.	रुपये 25 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 50 करोड़ से कम	1,00,000
9.	रुपये 10 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 25 करोड़ से कम	75,000
10.	रुपये 05 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 10 करोड़ से कम	62,500
11.	रुपये 03 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 05 करोड़ से कम	50,000
12.	रुपयें 02 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 03 करोड़ से कम	5,000
13.	रुपये 01 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 02 करोड़ से कम	2,500
14.	रुपये 1 करोड़ तक	1,250

(वो) नैसर्गिक संसाधनों से जत प्राप्त करने वाले तथा सरिताओं में बाहिस्त्राव का निस्सारण करने वाले स्थानीय निकायों से प्रभार्य वार्षिक सम्मित नवीनीकरण फीस तथा सम्मित फीस निम्नानुसार होंगी:-

स. क्र.	स्थानीय निकाय	- फीस
(1)	(2)	(3)
1.	नगर निगम	रुपये 10,000
2.	नगरपालिका	रुपये 4,000
3.	नगर पंचायत	रुपये 2,000
4.	अन्य	रुपये 1,000

टीप - उपरोक्त सम्मति फीस तथा सम्मति नवीनीकरण फीस, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व प्राप्त सम्मति आवेदन और सम्मति नवीनीकरण आवेदन, आवेदन के लंबित रहने के कारण बढ़ी हुई फीस के अंतर का संदाय करने के दायित्वाधीन नहीं होंगे :

परन्तु यह और कि इस अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व प्राप्त नवीनीकरण आवेदन में, विद्यमान अनुसूची के अनुसार फीस संदाय होगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक ६ अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ 1-20/2016/32. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6-10-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्धारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव

Naya Raipur, the 6th October 2016

NOTIFICATION

No. F 1-20/2016/32.— In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974) and after consultation with the Chhattisgarh Environment Conservation Board, the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Water (Prevention and Control of Pollution) (Consent) Chhattisgarh Rules, 1975, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

For sub-rule (v) of rule 4, the following shall be substituted, namely:-

"(v) The application form shall be duly accompanied with the consent fee as per the following Schedule, namely;-

SCHEDULE

S. No. (1)	Industries having an investment of (2)	Rupees (3)
1.	More than Rupees 5000 Crores	35,00,000
2,	More than Rupees 2500 Crores but less than Rupees 5000 Crores	30,00,000
3.	More than Rupees 1000 Crores but less than Rupees 2500 Crores	25,00,000
4.	More than Rupees 500 Crores but less than Rupees 1000 Crores	12,50,000
5.	More than Rupees 200 Crores but less than Rupees 500 Crores	6,25,000
6.	More than Rupees 100 Crores but less than Rupees 200 Crores	3,75,000
7.	More than Rupees 50 Crores but less than Rupees 100 Crores	2,50,000
8.	More than Rupees 25 Crores but less than Rupees 50 Crores	2,00,000
9,	More than Rupees 10 Crores but less than Rupees 25 Crores	1,75,000
10.	More than Rupees 05 Crores but less than Rupees 10 Crores	1,50,000
11.	More than Rupees 03 Crores but less than Rupees 05 Crores	75,000
12.	More than Rupees 02 Crores but less than Rupees 03 Crores	7,500
13.	More than Rupees 01 Crores but less than Rupees 02 Crores	5,000
14.	Upto Rupees 1 Crore	2,500

Note- The above consent fee includes the consent renewal fee for the first year."

- For sub-rule (5) of rule 5, the following shall be substituted, namely :-
 - "(5) (i) The applicant shall pay an annual "Consent renewal fee" (except the fee for the first year) to

the Board as specified in the following Schedule, namely :-

SCHEDULE

S. No. (1)	Industries having an investment of (2)	Rupees
1.	More than Rupees 5000 Crores	15,00,000
2.	More than Rupees 2500 Crores but less than Rupees 5000 Crores	10,00,000
3.	More than Rupees 1000 Crores but less than Rupees 2500 Crores	6,50,000
4,	More than Rupees 500 Crores but less than Rupees 1000 Crores	3,75,000
5.	More than Rupees 200 Crores but less than Rupees 500 Crores	2,50,000
6.	More than Rupees 100 Crores but less than Rupees 200 Crores	1,75,000
7.	More than Rupees 50 Crores but less than Rupees 100 Crores	1,25,000
8.	More than Rupees 25 Crores but less than Rupees 50 Crores	1,00,000
9.	More than Rupees 10 Crores but less than Rupees 25 Crores	. 75,000
10.	More than Rupees 05 Crores but less than Rupees 10 Crores	62,500
1.	More than Rupees 03 Crores but less than Rupees 05 Crores	50,000
2,	More than Rupees 02 Crores but less than Rupees 03 Crores	5,000
3.	More than Rupees 01 Crores but less than Rupees 02 Crores	2,500
4.	Upto Rupees 1 Crores	1,250

(ii) Annual consent renewal fee and consent fee chargeable from Local Bodies extracting water from natural resources and discharging effluent into systems shall be as under:-

S. No. (I)	Local Bodies (2)	Fee (3)
1.	Municipal Corporation	
2.	Municipal Council	Rupees 10,000
3.	Nagar Panchayat	Rupees 4,000
4.	Other	Rupees 2,000
	×11101	Rupees 1,000

Note- The above consent fee and consent renewal fee shall be applicable from the date of publication of this notification in the Official Gazette:

Provided that, the consent application and consent renewal application received prior to the publication of this notification, shall not be liable for the excess payment of difference of fees owing to pendency of application:

Provided futher that, the renewal applications received prior to the publication of this notification, fees shall be payable according to the existing Schedule."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, REGINA TOPPO, Joint Secretary.

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH HOUSING AND ENVIRONMENT MAHANADI BHAWAN, NAYA RAIPUR

NOTIFICATION

No. F 1-20/2016/32:: In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974), and after consultation with the Chhattisgarh Environment Conservation (Board, the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Water (Prevention and Control of Pollution) (Consent) Chhattisgarh Rules, 1975, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

substituted, namely:-

application shall be made by the person for the consent of the Board, which shall be deemed to be a new application:

Provided that in case of capacity expansion/modernization/diversification consent fee shall be charged on the basis of the investment made on such capacity expansion/modernization/diversification only and not on the total investment i.e. on the basis of investment including investment on existing capacity and expansion of capacity/modernization/diversification:

Provided further that no consent fee shall be charged, if by unifying earlier issued separate consent, unified consent is issued within the same industrial premises:

Provided also that consent fee shall not be payable again for any change in project configuration described in establishment consent issued earlier during the execution of project, if there is no increase in output capacity of the project due to such change."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(Regina Toppo) Joint Secretary

छन्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग ःमंत्रालयः महानदी भवन —नया रायवर

महानदी भवन —नया रायपुर Email Id : henv.cg@nic.com

नया रायपुर, दिनांक 14 65 2017

अधिसूचना

STORMUNE FROM STORE

__कमांक एफ 1=20 / 2016 / 32:: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का सं. 6) की घारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्ररामुर्श पश्चात्, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) (सम्मति) छत्तीसगढ़ नियम, 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 4 में, उप नियम (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये. अर्थात्:-

"(दो) विद्यमान सुविधाओं में सुधार के मामले में, व्यक्ति द्वारा मण्डल की सम्मति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे नवीन आवेदन माना जायेगाः

परन्तु क्षमता विस्तार/आधुनिकीकरण/विविधिकरण के मामले में, सम्मित फीस केवल ऐसी क्षमता विस्तार/आधुनिकीकरण/विविधिकरण पर होने वाले विनिधान के आधार पर प्रभारित की जायेगी, न कि कुल विनिधान पर अर्थात् विनिधान जिसमें विद्यमान क्षमता एवं क्षमता विस्तार/आधुनिकीकरण/विविधिकरण पर विनिधान सम्मिलित है, के आधार परः

परन्तु यह और कि कोई सम्मित फीस प्रभारित नहीं की जायेगी, यदि पूर्व में जारी पृथक-पृथक सम्मित को एकीकृत करते हुए, एकीकृत सम्मित उसी औद्योगिक परिसर के भीतर जारी की जाती है:

परन्तु यह भी कि पूर्व में जारी स्थापना सम्मति में वर्णित परियोजना विन्यास में, परियोजना के कियान्वयन के दौरान, किसी परिवर्तन हेतु सम्मति फीस पुनः देय नहीं होगी, यदि ऐसे परिवर्तन से परियोजना की उत्पादन क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होती हो।"

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

> > (रेजीना टोप्पो) संयुक्त सचिव

ः मंत्रालयः महानदी भवन—नया रायपुर Email Id : henv.cg@nic.com

//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक 14/७७७ 2017

कमांक एफ 3—20% 2016 / 32 ा भारत के संविधान के अनुन्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक / 4/ 65/ 2017 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के ज्ञाज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

स्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(Politica Colon)

(रेजीना टोप्पो) संयुक्त सचिव